2020 का विधेयक संख्यांक 88

[दि कंपनी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020

कंपनी अधिनियम, 2013
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से, किन्हीं ऐसे उपबंधों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध को प्रवर्तन में लाने के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के, खंड (52) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2013 का 18

"परंतु कंपनियों के ऐसे वर्ग को, जो ऐसी प्रतिभूतियों के वर्ग को सूचीबद्ध करती है या सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, जैसा कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ परामर्श करके विहित किया जाए, सूचीबद्ध कंपनियों के रुप में नहीं समझा जाएगा ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (11) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "या दोनों" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

धारा 16 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "छह मास की अवधि" शब्दों के स्थान पर "तीन मास की अवधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो केंद्रीय सरकार कंपनी को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नया नाम आबंटित करेगी और रजिस्ट्रार, पुराने नाम के स्थान पर, कंपनी के रजिस्टर में, नए नाम की प्रविष्टि करेगा तथा नए नाम के साथ निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसका इसके पश्चात् कंपनी उपयोग करेगी :

परंतु इस धारा की कोई बात, कंपनी को धारा 13 के उपबंधों के अनुसार उसका तत्पश्चात् नाम परिवर्तित करने से वर्जित नहीं करेगी ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 में उपखंड (द) के पश्चात् स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) लोक कंपनियों के ऐसे वर्ग, अनुज्ञेय विदेशी अधिकारिताओं या ऐसी अन्य अधिकारिताओं जो विहित की जाए, में अनुज्ञेय शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों के ऐसे वर्ग का निर्गम कर सकेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक कंपनियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को, इस अध्याय, अध्याय 4, धारा 89, धारा 90 या धारा 127 के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना की एक प्रति उसके जारी किए जाने के शीघ्र पश्चात संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।"

धारा 26 का संशोधन ।

6 मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 40 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (5) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ;

धारा 48 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

धारा 56 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) जहां उपधारा (1) से उपधारा (5) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, वहां कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।" ।

धारा 59 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

धारा 62 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में "पंद्रह दिन से कम" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे कम दिनों की संख्या जो विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में,—

(क) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो" शब्दों के स्थान पर "कंपनी की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपए और किसी अधिकारी जो व्यतिक्रमी है की दशा में एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 66 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (11) का लोप किया जाएगा ।

धारा 68 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (11) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ;

धारा 71 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (11) का लोप किया जाएगा ।

धारा 86 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) यदि कंपनी इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।",

धारा 88 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर नहीं रखती है या उसे बनाए रखने में असफल रहती है तो कंपनी तीन लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।" ।

धारा 89 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 89 में,—

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पांच लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है दो सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।" ।

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) यदि कोई कंपनी, जिससे उपधारा (6) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है, उसमें विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पूर्व ऐसा करने में असफल रहती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, कंपनी की दशा में अधिकतम पांच लाख रुपए और अधिकारी जो व्यतिक्रमी है की दशा में अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।" ।

(ग) उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(11) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (10) के सिवाय, इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं का पालन करने से किसी वर्ग या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट प्रदान कर सकेगी, यदि वह लोकहित में ऐसी छूट प्रदान करना आवश्यक समझती है और ऐसी छूट या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रदान की जा सकेगी ।"।

धारा 90 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(क) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(10) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।" ।

(ख) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(11) यदि कंपनी से, उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर का अनुरक्षण और उपधारा (4) के अधीन सूचना का दाखिल करना अपेक्षित है या उपधारा (4क) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करना अपेक्षित है, वह ऐसा करने में असफल रहती है या उसमें यथा उपबंधित निरीक्षण से इंकार करती है, तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पांच लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है पांच सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है दो सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगा।";।

धारा 92 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 92 में,—

(क) उपधारा (5) में,—

(i) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "कंपनी की दशा में दो लाख रुपए और किसी अधिकारी जो व्यतिक्रमी है की दशा में पचास हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (6) में "जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (5) में,—

(क) "जो उपरोक्त आमंत्रणों को जानबूझकर जारी करता है या उसको जारी करने को जानबूझकर प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, ऐसे जुर्मानें से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जो उपरोक्त आमंत्रणों को जानबूझकर जारी करता है या उसको जारी करने को जानबूझकर प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परंतुक में "दण्डनीय" शब्द के स्थान "दायी" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 117 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 117 में,—

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (1) के अधीन संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए,

शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जिसके अंतर्गत कंपनी का समापक भी है, दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम पचास हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगा।";

(ii) उपधारा (3) के खंड (छ) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात, उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में, धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन, निम्नलिखित द्वारा, अनुदान ऋण पारित करने या प्रत्याभूति देने अथवा ऋण की बाबत सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित संकल्प के संबंध में लागू होगी,—

(क) एक बैंककारी कंपनी ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कोई वर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से विहित किया जाए; 1934 का 2

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आवास वित्तपोषण कंपनी का कोई वर्ग, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ परामर्श से विहित किया जाए ;"। 1987 का 53

धारा 124 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 124 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) यदि कोई कंपनी इस धारा की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दस लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है पांच सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगा।"।

धारा 128 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (6) में,—

(क) "ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "या दोनों से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नयी धारा 129क का अंत:स्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 129 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"129क. केंद्रीय सरकार, असूचीबद्ध कंपनियों के वर्ग या वर्गों से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकेगी, जो विहित की जाए,— कालिक वित्तीय परिणाम।

(क) ऐसे कालिक आधारों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कंपनी के वित्तीय परिणामों को तैयार करना;

(ख) निदेशक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना और ऐसे कालिक वित्तीय परिणामों की, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संपूर्ण संपरीक्षा या सीमित पुनर्विलोकन करना;

(ग) सुसंगत अवधि की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस जो विहित की जाए, के साथ रजिस्ट्रार को एक प्रति दाखिल करना ।"।

26. मूल अधिनियम की धारा 134 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 134 का संशोधन ।

"(8) यदि कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी तीन लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

27. मूल अधिनियम की धारा 135 में,— धारा 135 का संशोधन ।

(क) उपधारा (5) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि कंपनी इस उपधारा के अधीन उपबंधित अपेक्षाओं के आधिक्य में रकम खर्च करती है तो ऐसी कंपनी इस धारा के अधीन खर्च की गई अपेक्षाओं के विरुद्ध, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों की ऐसी संख्या के लिए, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी अधिक रकम का मुजरा कर सकेगी ।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) यदि कंपनी, उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी, यथास्थिति, अनुसूची 7 में या अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में विनिर्दिष्ट निधि में कंपनी द्वारा अन्तरित किये जाने के लिए अपेक्षित रकम से दुगुने या एक करोड रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, यथास्थिति अनुसूची 7 में या अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में विनिर्दिष्ट निधि में कंपनी द्वारा अन्तरित किये जाने के लिए अपेक्षित रकम का 1/10 या दो लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

(ग) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) उपधारा (5) के अधीन कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली रकम पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन कॉरपोरेट

सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने के लिए अपेक्षा लागू नहीं होगी और इस धारा के अधीन उपबंधित, ऐसी समिति के कृत्य का निर्वहन, ऐसे मामलों में ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।"।

धारा 137 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में, —

(क) " ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रूपयें के, किन्तु जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जुर्मानें से दण्डनीय होगी" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगी" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परंतुक में "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परंतुक में "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (3) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 143 में, उपधारा (15) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(15) यदि कोई व्यवसायरत संपरीक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, उपधारा (12) के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो वह, —

(क) सूचीबद्ध कंपनी की दशा में पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी; और

(ख) अन्य कंपनी की दशा में एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।" ।

धारा 147 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 147 में,—

(क) उपधारा (1) में, —

(i) "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 143" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 149 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (9) में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु यदि किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ या उसका लाभ अपर्याप्त है, तो एक स्वतंत्र निदेशक अनुसूची 5 के उपबंधों के अनुसार, धारा 147 की

उपधारा (5) के अधीन देय किसी फीस के अतिरिक्त, पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा ।"।

धारा 165 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उल्लंघन में निदेशक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करे, तो वह अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है दो हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।"।

धारा 167 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) में, —

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ;

धारा 172 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 172 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् : —

"172. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के ऐसे किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम करेगी जिसके लिए उसमें कोई विनिर्दिष्ट दण्ड का उपबंध नहीं है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी/होगा और कंपनी की दशा में अधिकतम तीन लाख रुपए और अधिकारी जो व्यतिक्रमी है की दशा में अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है पांच सौ रुपए होगी, के लिए दायी होगी/होगा ।" ।

धारा 178 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (8) में, "ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 184 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (4) में, "ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। -

धारा 187 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 187 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यदि कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम

करती है, तो कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा ।"।

धारा 188 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (5) में,—

(क) खंड (i) में, "ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी" शब्द रखे जाएंगें ;

(ख) खंड (ii) में, "ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगें ।" ।

धारा 197 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (3) में, "पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध" शब्दों के पश्चात "अथवा कोई अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक को सम्मिलित करते हुए," शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगें ।

धारा 204 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 204 की उपधारा (4) में, "ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 232 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 232 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) यदि कोई कंपनी इस उपधारा (5) की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, बीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी/होगा और ऐसी असफलता जारी रहने की दशा में, अधिकतम तीन लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, शास्ति जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है एक हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगी/होगा ।";

धारा 242 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 242 की उपधारा (8) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ;

धारा 243 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) में,—

(क) "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगें ।

धारा 247 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (3) में, "ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो

सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 284 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 284 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापक की सहायता या सहयोग करना अपेक्षित है, वह सहायता या सहयोग नहीं करता है, तो कंपनी समापक अधिकरण को आवश्यक निदेश देने के लिए एक आवेदन कर सकेगा ।

(3) अधिकरण, उपधारा (2) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिससे कंपनी समापक की सहायता या सहयोग करना अपेक्षित है, कंपनी समापक, के अनुदेशों का पालन करने और उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करने का निदेश देगा ।" ।

धारा 302 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 302 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) अधिकरण, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर,—

(क) रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा, जो कंपनी से संबंधित रजिस्टर में कंपनी के परिसमापन के कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा ; और

(ख) कंपनी के समापक को आदेश की एक प्रति, रजिस्ट्रार को अग्रेषित करने का निदेश देगा, जो कंपनी से संबंधित रजिस्टर में कंपनी के परिसमापन के कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा ।";

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 342 का संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 342 में, उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 347 का संशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 347 की उपधारा (4) में,—

(क) "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 348 का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 348 में,—

(क) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

2016 का 31

"(6) जहां एक कंपनी समापक, जो शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिक है, इस धारा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है, तो ऐसा व्यतिक्रम उक्त संहिता और उसके अधीन बनाए गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का, उस संहिता के भाग 4 के अध्याय 6 के अधीन कार्रवाईयों के प्रयोजन के अधीन

उल्लंघन समझा जाएगा ।";

(ख) उपधारा (7) लोप किया जाएगा ।

धारा 356 का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 356 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) अधिकरण—

(क) आदेश की एक प्रति, उसके दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा, जो उसे अभिलिखित करेगा; और

(ख) कंपनी समापक या ऐसे व्यक्ति को, जिसके आवेदन पर वह आदेश किया गया था, आदेश की तारीख से तीस दिन या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करने का निदेश देगा, जो उसे अभिलिखित करेगा ।" ।

नए अध्याय 21 क, का अंत: स्थापन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 378 के पश्चात निम्नलिखित अध्याय अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अध्याय 21

उत्पादक कंपनियां

भाग 1

प्रारम्भिक

परिभाषाएं ।

378 क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "सक्रिय सदस्य" से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्पादक कंपनी के परिमाण और प्रश्रय अवधि को पूरा करता है जैसा की अनुच्छेदों द्वारा विहित किया जाए ;

(ख) "मुख्य कार्यकारी" से धारा 378ब की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "सीमित रिटर्न" से अधिकतम लाभांश अभिप्रेत है, जैसा कि अनुच्छेदों द्वारा विहित किया जाए ;

(घ) "सदस्य" से कोई व्यक्ति या उत्पादक संस्था (चाहे निगमित हो या नहीं हो) अभिप्रेत है जिसे उत्पादक कंपनी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है और जो ऐसे जारी रखने के लिए आवश्यक अर्हताएं प्रतिधारित करता है ;

(ङ) "अन्तरराज्यिक सहकारी सोसायटी" से बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के खंड (त) में यथापरिभाषित बहुराज्य सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है और इसमें तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी सम्मिलित है, जिसने, उसके निर्माण के पश्चात, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी संस्था जिसका वह घटक है के माध्यम से, भाग लेने वाले व्यक्तियों की भर्ती द्वारा, या राज्य के बाहर उसके किन्हीं क्रियाकलापों के विस्तार द्वारा, एक से अधिक राज्यों में उसके किसी उद्देश्य का विस्तार किया है,

(च) "पारस्परिक सहायता सिद्धांत" से धारा 378छ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धांत अभिप्रेत है :

(छ) "अधिकारी" में कोई निदेशक या मुख्य कार्यकारी या सचिव या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार उत्पादक कंपनी का कारबार भागत : या पूर्णत : कार्यान्वित किया जाता है, सम्मिलित है;

(ज) "प्रश्रय" से उत्पादक कंपनी या उसके सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं का, उसके कारबार क्रियाकलापों में भाग लेने के द्वारा उपयोग अभिप्रेत है;

(झ) "प्रश्रय बोनस" से उत्पादक कंपनी द्वारा, उसकी अधिशेष आय में से, सदस्यों को उनके अपने-अपने प्रश्रय के अनुपात में किया संदाय अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रारम्भिक उत्पाद" से अभिप्रेत है—

(i) कृषि (जिसके अन्तर्गत पशुपालन, उद्यान-कृषि, पुष्प-कृषि, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, वानिकी, वन उत्पाद, रिवेजिटेशन, मधुमक्खी पालन और बागान उत्पादों की खेती भी है), से या किसी अन्य प्रारम्भिक क्रियाकलाप या सेवा जो कृषकों या उपभोक्ताओं के हित का संवर्धन करते है, से उदभूत कृषक के उत्पाद ; या

(ii) हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य कुटीर उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के उत्पाद ;

(iii) उपरोक्त क्रियाकलापों में से किसी से उदभूत कोई अन्य उत्पाद, जिसके अन्तर्गत ऐसे उत्पादों के उपोत्पाद भी है ;

(iv) सहायक क्रियाकलापों से उदभूत अन्य कोई उत्पाद, जो उपरोक्त क्रियाकलापों में से किसी के या उसके सहायक किसी चीज में सहायता या उसका संवर्धन कर सकेगा ;

(v) कोई क्रियाकलाप जो उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी चीज के उत्पादन की वृद्धि या उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आशायित है;

(ट) "उत्पादक" से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक उत्पाद के सापेक्ष या संबन्धित किसी क्रियाकलाप में संलग्न कोई व्यक्ति या ;

(ठ) "उत्पादक कंपनी" से अभिप्रेत है धारा 378ख में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या उद्देश्यों को रखने वाली और इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई निगम निकाय;

1956 का 1

(ड) "उत्पादक संस्था" से अभिप्रेत है, कोई उत्पादक कंपनी या कोई अन्य संस्था जो केवल उत्पादक या उत्पादकों या उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों को इसके सदस्य के रूप में धारित करती हो चाहे निगमित हो या नहीं जो धारा 378ख में निर्दिष्ट किन्हीं उद्देश्यों को धारित करती हो और जो इसके अनुच्छेदों में यथा उपबंधित उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत है;

(ढ) "विधारित कीमत" से अभिप्रेत है, उत्पादक कंपनी के किसी सदस्य द्वारा प्रदाय किए गए मालों के लिए संदेय या शोध्य कीमत का भाग; और किसी पश्चातवर्ती तारीख पर संदाय के लिए उत्पादक कंपनी द्वारा यथा विधारित हो ।

भाग 2

उत्पादक कंपनियों का निगमन और अन्य विषय

उत्पादक कंपनी के उद्देश्य ।

378ख. (1) उत्पादक कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित सभी या किसी विषय से संबंधित होंगे :—

(क) सदस्यों के प्राथमिक उत्पाद के निर्यात, उत्पादन, संचयन, उपापन, श्रेणीकरण, पूलिंग, सभांलना, विक्रय या मालों या सेवाओं के फायदे के लिए आयात :

परंतु उत्पादक कंपनी इस खंड में निर्दिष्ट किन्हीं क्रियाकलापों को स्वयं या अन्य संस्था के माध्यम से कर सकेगी ;

(ख) इसके सदस्यों के उत्पाद का प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत परिरक्षण, सुखाना, आसवन, किण्वन, द्राक्षासंचयन, डिब्बाबंदी और पैकिंग भी है ;

(ग) मुख्यत: इसके सदस्यों को विनिर्माण, मशीनरी उपस्कर या उपभोज्य वस्तु का विक्रय व प्रदाय;

(घ) इसके सदस्यों और अन्यों को पारस्परिक सहायता सिद्धांतों पर शिक्षा का उपबंध करना;

(ङ) इसके सदस्यों के हितों की संवृद्धि के लिए तकनीकी सेवाएं परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा अन्य सभी क्रियाकलाप;

(च) विद्युत का सृजन, पारेषण और वितरण, भूमि और जल संसाधनों का पुनरुज्जीवन उनके उपयोग, प्राथमिक उत्पाद के सापेक्ष संरक्षण और संचार;

(छ) उत्पादकों का या उनके प्राथमिक उत्पाद का बीमा;

(ज) पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता तकनीकों की संवृद्धि;

(झ) सदस्यों के फायदे के लिए प्रसुविधा या कल्याण के उपाय जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं;

(ञ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो खंड (क) से (झ) में निर्दिष्ट किन्हीं क्रियाकलापों के आनुषंगिक या सहायक हों या अन्य क्रियाकलाप जो सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों की संवृद्धि अन्य किसी रीति से करे;

(ट) खंड (क) से (ञ) में विनिर्दिष्ट अन्य क्रियाकलाप या उपापन विपणन, प्रसंस्करण को वित्त उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत इसके सदस्यों को किसी अन्य वित्तीय सेवाओं या प्रत्यय प्रसुविधा का विस्तार भी है ।

(2) प्रत्येक उत्पादक कंपनी इस धारा में विनिर्दिष्ट इसके किसी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक रूप से इसके सक्रिय सदस्यों के उत्पाद

के संबंध में संव्यवहार करेगी ।

उत्पादक कंपनी का निर्माण और इसका रजिस्ट्रीकरण ।

378ग. (1) कोई दस या अधिक व्यष्टि, उनमें से प्रत्येक एक उत्पादक होते हुए या कोई दो या अधिक उत्पादक संस्था, या दस या अधिक व्यष्टियों और उत्पादक संस्थाओं का संयोजन जो धारा 378ख में विनिर्दिष्ट इसके उद्देश्यों को धारण करने वाली एक उत्पादक कंपनी के निर्माण करने के इच्छुक हैं और रजिस्ट्रीकरण के सबंध में इस अधिनियम के उपबंधों और इस अध्याय की अपेक्षाओं का अन्यथा पालन करते हैं, इस अधिनियम के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में एक निगमित कंपनी बना सकेगें ।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान है कि यदि रजिस्ट्रीकरण और इसके पूर्वगामी और अनुषंगी विषयों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, तो वह, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ज्ञापन, अनुच्छेदों और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, रजिस्टर करेगा, और इस अधिनियम के अधीन निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) कोई उत्पादक कंपनी जो इस तरह बनाई गई है, कि इसके सदस्यों का उनके अपने-अपने द्वारा धारित अंशों पर असंदत्त ज्ञापन द्वारा सीमित ऐसी रकम ,यदि कोई हो, के प्रति उत्तरदायित्व होगा और वह अंशों द्वारा सीमित कंपनी कही जाएगी ।

(4) उत्पादक कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और संवृद्धि के साथ सहयुक्त अन्य सभी प्रत्यक्ष लागतों की इसके प्रवर्तकों को प्रतिपूर्ति कर सकेगी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण, विधिक फीस, ज्ञापन व अनुच्छेदों का मुद्रण भी है और इसका संदाय इसके सदस्यों के पहले साधारण अधिवेशन में अनुमोदन के अधीन होगी ।

(5) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण पर, उत्पादक कंपनी एक निगम निकाय होगी मानो यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध, यद्यपि इसके सदस्यों की संख्या की सीमा के बिना लागू होंगे और उत्पादन कंपनी, किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो, इस अधिनियम के अधीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी न तो होगी न ही समझी जाएगी ।

उत्पादक कंपनी के सदस्यों का मताधिकार व सदस्यता।

378घ. (1) (क) उस दशा में जहां कोई सदस्यता एकमात्र व्यष्टिगत सदस्यों से युक्त है, वहां उसकी शेयर धारिता या उत्पादक कंपनी के प्रश्रय पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक सदस्य के लिए एकल मत पर आधारित मताधिकार होगा ।

(ख) उस दशा में जहां कोई सदस्यता केवल उत्पादक संस्थाओं से युक्त है, वहां ऐसी उत्पादक संस्थाओं का मताधिकार पूर्ववर्ष में उत्पादक कंपनी के कारबार में उनकी सहभागिता के आधार पर ऐसे अवधारित किया जाएगा, जो अनुच्छेदों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के पहले वर्ष के दौरान मताधिकार ऐसी उत्पादक संस्थाओं द्वारा शेयर धारिता के आधार पर अवधारित किया जाएगा ।

(ग) उस दशा में जहां कोई सदस्यता व्यष्टिगत सदस्यों और उत्पादक संस्थाओं से युक्त है, वहां मताधिकार की संगणना प्रत्येक सदस्य के लिए एकल मत के आधार पर की जाएगी ।

(2) किसी उत्पादक कंपनी के अनुच्छेद उन शर्तों का उपबंध कर सकेंगे, जिनके अधीन रहते हुए कोई सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखे, और वह रीति जिसमें सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादक कंपनी, यदि वह उसके अनुच्छेदों द्वारा ऐसे प्राधिकृत है, किसी विशेष या साधारण अधिवेशन में सक्रिय सदस्यों तक मताधिकार को निर्बंधित कर सकेगी ।

(4) कोई व्यक्ति, जिसका कोई कारबार हित है जो उत्पादक कंपनी के कारबार के प्रतिकूल है, तो वह उस कंपनी का सदस्य नहीं होगा ।

(5) कोई सदस्य, जो ऐसा कारबार हित अर्जित करता है जो उत्पादक कंपनी के कारबार के प्रतिकूल है, तो वह उस कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा और अनुच्छेदों के अनुसार सदस्य के रूप में हटा दिया जाएगा ।

सदस्यों के फायदे ।

378ङ. (1) इन अनुच्छेदों में बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य प्रारम्भ में पूल या प्रदाय किए गए उत्पाद या उत्पादों के लिए केवल ऐसा मूल्य प्राप्त करेंगे जो उत्पादक कंपनी का बोर्ड अवधारित करे, और विधारित कीमत ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादक कंपनी को प्रदाय किए गए उत्पाद के अनुपात में साधारण अंशों के आवंटन या नकद द्वारा या ऐसे ही प्रकार से बाद में वितरित की जा सकेगी जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) प्रत्येक सदस्य, अभिदाय की गई अंश पूंजी पर केवल सीमित प्रत्यागम प्राप्त करेगे :

परन्तु प्रत्येक ऐसे सदस्यों को धारा 378यत्र में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बोनस अंश आबंटित किया जा सकेगा ।

(3) अधिशेष यदि कोई हो, जो सीमित प्रत्यागम के संदाय के लिए उपबंध करने के पश्चात शेष रहे और धारा 378यझ में निर्दिष्ट आरक्षिति को, सदस्यों के बीच प्रश्रय बोनस के रूप में, उत्पादक कंपनी के कारबार में उनकी सहभागिता के अनुपात में, या तो नकद में या साधारण शेयरों के आबंटन द्वारा या दोनों के द्वारा जो साधारण अधिवेशन में सदस्यों के द्वारा विनिश्चित किया जाए, वितरित की जा सकेगी।

उत्पादक कंपनी का ज्ञापन।

378च. प्रत्येक उत्पादक कंपनी के संगम ज्ञापन में निम्नलिखित उल्लिखित होगा—

(क) ऐसी कंपनी के नाम के अंतिम शब्दों के रूप में "उत्पादक कंपनी लिमिटेड" के साथ कंपनी का नाम;

(ख) वह राज्य जिसमें उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है;

(ग) उत्पादक कंपनी के मुख्य उद्देश्य धारा 378ख में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक या अधिक होंगे ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने ज्ञापन में अभिदाय किया है ;

(ङ) शेयर पूंजी की रकम जिसके साथ किसी उत्पादक कंपनी को

रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और नियत रकम के शेयरों में उसका प्रभाग;

(च) उत्पादक होते हुए उन अभिदाताओं के नाम, पते, व्यवसाय, जो धारा 378ञ की उपधारा (2) के अनुसार प्रथम निदेशक के रूप में कार्य करेंगे;

(छ) यह कि इसके सदस्यों की देयता सीमित है;

(ज) अभिदाताओं के नाम के सामने, प्रत्येक अभिदाता द्वारा लेने वाले शेयरों की संख्या :

परन्तु कोई भी अभिदाता एक से कम शेयर नहीं लेगा;

(झ) उस दशा में जहां उत्पादक कंपनी के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है वहां वे राज्य जिनके क्षेत्र में उद्देश्यों का विस्तार किया गया है ।

संगम अनुच्छेद ।

378छ. (1) उस राज्य के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए जहां संगम ज्ञापन द्वारा उल्लिखित उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाएगा—

(क) उत्पादक कंपनी का ज्ञापन;

(ख) ज्ञापन के अभिदाताओं द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित इसके अनुच्छेद;

(2) अनुच्छेदों में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट पारस्परिक सहायक सिद्धांत होंगे, अर्थात् :—

(क) सदस्यता स्वैच्छिक और उन सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो उत्पादक कंपनी की सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपयोग या भाग ले सकते हैं, और सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं;

(ख) इस अध्याय में अन्यथा उपबंध के सिवाय प्रत्येक सदस्य का उसकी शेयर धारिता को ध्यान दिए बिना केवल एकल मत होगा;

(ग) उत्पादक कंपनी एक बोर्ड द्वारा प्रशासित होगी जिसमें इस अध्याय के उपबंधों से संगत रीति से निदेशक के रूप में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति होंगे और बोर्ड सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा;

(घ) शेयर पूंजी पर सीमित प्रत्यागम पर विशिष्टियां ;

(ङ) उत्पादक कंपनी के प्रचालनों से उद्भूत अधिशेष को साम्यिक रीति में निम्नलिखित रूप से वितरित किया जाएगा—

(i) उत्पादक कंपनी के कारबार के विकास के लिए उपबंध करके;

(ii) सामान्य प्रसुविधाओं के लिए उपबंध करके; और

(iii) सदस्यों के बीच वितरित करके, जो करबार में उनके संबंधित सहभागिता के अनुपात में ग्राह्य हो;

(च) पारस्परिकता के सिद्धान्तों और पारस्परिक सहायता की तकनीकों पर सदस्यों, कर्मचारियों और अन्यों की शिक्षा के लिए उपबंध;

(छ) उत्पादक कंपनी स्थानीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य उत्पादक कंपनियों (और ऐसे ही सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले

अन्य संगठन) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करेगी जिससे इसके सदस्यों और समुदायों के हितों की सर्वोतम सेवा हो सके जो सेवा तात्पर्यित थी ।

(3) उपधारा (1) और (2) के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुच्छेद निम्नलिखित उपबंधों को अन्तर्विष्ट करेंगे, अर्थात् :—

(क) सदस्यता के लिए अर्हताएँ, सदस्यता के रद्दकरण या जारी रखने के लिए शर्तें, और शेयरों के अंतरण के लिए प्रक्रिया, शर्तें और निबंधन ;

(ख) प्रश्रय और प्रश्रय पर आधारित मताधिकार सुनिश्चित करने की रीति;

(ग) धारा 378ढ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड के गठन की रीति, इसके कर्तव्य और शक्तियां, इसके निदेशकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, निदेशकों की नियुक्ति और निर्वाचन की रीति तथा चक्रानुक्रम के द्वारा सेवानिवृत्ति, निर्वाचित किए जाने या इसी प्रकार बने रहने के लिए अर्हताएं और उक्त निदेशकों की पदावधि, उनकी शक्तियां और कर्तव्य, निदेशकों के सहयोजन या निर्वाचन के लिए शर्तें, निदेशकों को हटाए जाने का ढंग और बोर्ड में रिक्तियों को भरा जाना, तथा मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति के निबंधन और रीति;

(घ) अध्यक्ष का निर्वाचन, निदेशकों और अध्यक्ष की पदावधि, सदस्यों की साधारण या विशेष अधिवेशन में मत देने की रीति, बोर्ड के अधिवेशन में निदेशकों द्वारा मत देने की प्रक्रिया, अध्यक्ष की शक्तियां और वे परिस्थितियां जिनके अधीन अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा;

(ङ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन, और वे रीति जिनमें विधारित कीमत अवधारित या वितरित की जाएगी;

(च) नकद में या साधारण शेयरों के जारी करने के द्वारा या दोनों के द्वारा प्रश्रय बोनस के वितरण की रीति;

(छ) साझा किए जाने वाले अभिदाय और धारा 378यझ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संबंधित विषय;

(ज) धारा 378यत्र में यथा अधिकथित साधारण आरक्षितियों में से बोनस शेयरों को जारी करने से संबंधित विषय;

(झ) सदस्यों द्वारा प्रदाय किए गए उत्पादों या उत्पाद के विक्रय आगमों के भाग या पूरे के बदले में उत्पादक कंपनी के साधारण शेयरों के आबंटन की रीति और आधार;

(ञ) आरक्षितियों की रकम, वे स्रोत जिनसे निधियों को उद्भूत किया जा सकेगा, निधियों को उद्भूत किए जाने की परिसीमा, ऐसी निधियों के उपयोग पर निर्बंधन और कर्ज का विस्तार जिसका अनुबंध किया जा सके और उसकी शर्तें;

(ट) प्रत्यय, ऋण या अग्रिम जिसे किसी सदस्य को अनुदान दिया

जा सके और ऐसे अनुदान की शर्तें;

(ठ) कंपनी के साधारण कारबार से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य का अधिकार ;

(ड) उत्पादक कंपनी के परिसमापन या विघटन की दशा में दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध निधियों के वितरण और निपटारे की रीति तथा आधार ;

(ढ) बंटवारे का प्राधिकार, समामेलन, विलयन, सहायिकियों का सृजन और संयुक्त जोखिमों में प्रवेश करना और उससे संबंधित अन्य विषय;

(ण) उत्पादक कंपनी के अनुच्छेदों और ज्ञापन को विशेष साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जाना जो कि इसके रजिस्ट्रीकरण से नब्बे दिन के भीतर आयोजित होगा ;

(त) कोई अन्य उपबंध, जिसे सदस्य, विशेष संकल्प के द्वारा अनुच्छेदों में सम्मिलित करने की सिफारिश करें ।

ज्ञापन का संशोधन ।

378ज. (1) कोई उत्पादक कंपनी इसके ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों को उस दशा के सिवाय, उस ढंग से और उस विस्तार तक जिसे इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है, परिवर्तित नहीं करेगी ।

(2) कोई उत्पादक कंपनी, विशेष संकल्प के द्वारा, जो धारा 378ख से असंगत न हो इसके ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को परिवर्तित कर सकेगी ।

(3) संशोधित ज्ञापन की एक प्रति, दो निदेशकों के द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित विशेष संकल्प की प्रति के साथ उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संकल्प के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल की जाएगी :

परंतु किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता में अंतरण की दशा में दो निदेशकों के द्वारा प्रमाणित विशेष संकल्प की प्रमाणित प्रतियां तीस दिन के भीतर दोनों रजिस्ट्रारों के समक्ष फाइल की जाएंगी, और प्रत्येक रजिस्ट्रार उसको अभिलिखित करेगा, और तब वह रजिस्ट्रार जिसकी अधिकारिता से कार्यालय अंतरित हुआ है, दूसरे रजिस्ट्रार को उत्पादक कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत अग्रेषित करेगा ।

(4) एक राज्य से दूसरे राज्य में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन से संबंधित ज्ञापन के उपबंधों के परिवर्तन का कोई प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से आवेदन किए जाने पर जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अनुमोदित न कर दिया जाए ।

अनुच्छेदों का संशोधन ।

378झ. (1) अनुच्छेदों में कोई भी संशोधन कम से कम दो तिहाई निर्वाचित निदेशकों या उत्पादक कंपनी के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और उसे विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के द्वारा अंगीकृत किया जाएगा ।

(2) संशोधित अनुच्छेदों की प्रति विशेष संकल्प की प्रति के साथ, दोनों निदेशकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित करके इसके अंगीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटियों का उत्पादक कंपनी बनने का विकल्प ।

378ञ. (1) धारा 378ग की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी जिसके उद्देश्य एक राज्य तक परिसीमित नहीं हैं, वह रजिस्ट्रार को इस अध्याय के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित सहयुक्त होगा—

(क) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में निगमन के लिए विशेष संकल्प की प्रति ;

(ख) निम्नलिखित दर्शित करने वाला एक विवरण—

(i) ऐसी सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक और निदेशकों के नाम और पते या व्यवसाय ,यदि कोई हो, चाहे इसे जिस नाम से भी जाना जाए; और

(ii) ऐसी अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के सदस्यों की सूची;

(ग) यह इंगित करने वाला विवरण कि अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी धारा 378ख में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में किसी एक या अधिक में लगी हुई है;

(घ) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के दो या अधिक निदेशकों द्वारा यह घोषणा जो यह प्रमाणित करे कि खंड (क) से खंड (ग) में दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

(3) जब कोई अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी एक उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होती है तब "उत्पादक कंपनी लिमिटेड" शब्द किसी शब्द या अभिव्यक्ति जो इसके पूर्व की पहचान दर्शाए, के साथ उसके नाम का एक भाग गठित करेगा ।

(4) उपधारा (1) से (3) की अपेक्षाओं के अनुपालन पर रजिस्ट्रार, आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रही है वह रजिस्ट्रीकृत है और इसके द्वारा इस अध्याय के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित है ।

(5) कोई सहकारी सोसाइटी जो उत्पादकों द्वारा, उत्पादकों के सहकारी सोसाइटियों के संघ या परिसंघ द्वारा या उत्पादकों के सहकारिताओं द्वारा बनाई गई है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है जिसने इसके उद्देश्यों को राज्य के बाहर विस्तारित किया है, यथास्थिति या तो प्रत्यक्ष रूप से या सहकारिताओं जिससे यह गठित है, के परिसंघ या संघ के माध्यम से और ऐसी सहकारिताओं के किसी संघ या परिसंघ जिसने अपने उद्देश्यों या क्रियाकलापों को इस प्रकार राज्य के बाहर विस्तारित किया है, उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने के और इस अध्याय के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(6) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण होने पर अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी एक उत्पादक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और तत्पश्चात्, जहां तक उत्पादक कंपनी के रूप में इसके रजिस्ट्रीकरण के पूर्व किए गए या

करने में लोप किए गए किसी बात के सिवाय, जिस विधि से यह पहले शासित थी उसको अपवर्जित करते हुए इस अध्याय के उपबंधों द्वारा शासित होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के पास ऐसे परिवर्तन या संपरिवर्तन के कारण सहकारी संस्था या कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा ।

(7) उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण होने पर, कंपनी रजिस्ट्रार जो कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करता है उस रजिस्ट्रार को जिसके पास तत्कालीन अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी पहले रजिस्ट्रीकृत थी, उसके रजिस्टर से सोसाइटी को हटाने के लिए तुरंत सूचित करेगा ।

उत्पादक कंपनी के निगमन का प्रभाव ।

378ट. उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात परिवर्तन की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के तुरंत पूर्व अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक शेयर धारक उत्पादक कंपनी का उस तारीख को और से ऐसे शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों के अंकित मूल्य के विस्तार तक उत्पादक कंपनी के शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा ।

उत्पादक कंपनी में उपक्रमों का निहित होना ।

378ठ. (1) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी की परिवर्तन की तारीख पर सभी संपत्तियां और आस्तियां, जंगम और स्थावर या उससे संबंधित माल-असबाब उत्पादक कंपनी में निहित हो जाएंगी ।

(2) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के परिवर्तन की तारीख पर सभी अधिकार, ऋण, देयताएँ, हित, विशेषाधिकार और बाध्यताओं को अंतरित हो जाएंगे, और अधिकार, ऋण देयताएं, हित, विशेषाधिकार और बाध्यताएं उत्पादक कंपनी के होंगे ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी ऋण, उपगत देयताएं और बाध्यताएं की गई सभी संविदाएं और सभी विषय और बातें जो सोसाइटी के साथ, द्वारा या के लिए परिवर्तन की तारीख पर किया गया है या उसके प्रयोजनों से संबंधित है उस उत्पादक कंपनी के द्वारा, साथ या के लिए उपगत, की गई या विनियुक्त समझी जाएगी ।

(4) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी को सभी धन जो परिवर्तन की तारीख के तुरंत पूर्व शोध्य थीं, उत्पादक कंपनी को शोध्य समझी जाएंगी ।

(5) प्रत्येक संगठन का, जिसका परिवर्तन की तारीख के तुरंत पूर्व अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रबंध किया जा रहा था ऐसी अवधि के लिए, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जैसी परिस्थितियां अपेक्षा करे, उत्पादक कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाएगा ।

(6) प्रत्येक संगठन को जिसे अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी से परिवर्तन की तारीख के तुरंत पूर्व वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता मिल रही थी यथास्थिति, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति से जिसे कंपनी ठीक समझे उत्पादक कंपनी द्वारा वित्तीय, प्रबंधकीय या तकनीकी सहायता दिया जाना जारी रह सकेगी ।

(7) वह रकम जो तत्कालीन अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी की पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रही थी उत्पादक कंपनी की पूंजी का भाग गठित करेगी ।

(8) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी को इस अधिनियम से भिन्न किसी

विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में कोई निर्देश उत्पादक कंपनी को निर्देश किया गया समझा जाएगा ।

(9) यदि, परिवर्तन की तारीख पर अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, माध्यस्थम, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही चाहे जिस प्रकृति की हो, लंबित है तो वह यथास्थिति, धारा 378त्र के अधीन उत्पादक कंपनी के रूप में अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी का परिवर्तन या धारा 378ग के अधीन उत्पादक कंपनी के निगमन के कारण किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगी या उसका उपशमन नहीं होगा, बंद नहीं होगी, किंतु उत्पादक कंपनी के विरुद्ध या द्वारा कोई वाद, माध्यस्थम, अपील या अन्य कार्यवाही उसी रीति से और उसी विस्तार तक जारी, अभियोजित और प्रवर्तित रह सकेगी जैसे यदि इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध प्रवृत्त नहीं होते तो यह अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध या द्वारा जारी रहती, अभियोजित और प्रवर्तित रहती ।

उत्पादक कंपनी को रियायत, आदि का दिया हुआ समझा जाना ।

378ड. परिवर्तन की तारीख से प्रभावी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के कारबार और मामलों के संबंध में अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी को अनुदत्त सभी राजकोषीय और अन्य रियायतें, अनुज्ञप्तियां, फायदे, विशेषाधिकार और छूटें उत्पादक कंपनी को अनुदत्त की हुई समझी जाएंगी ।

अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध ।

378ढ. (1) धारा 378ण में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादक कंपनी के निगमन के पूर्व अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के सभी निदेशक परिवर्तन से और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे ।

(2) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी (बोर्ड के निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के सिवाय) जो इसके परिवर्तन से तुरंत पूर्व इसके नियोजन में सेवारत हैं, जहां तक ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के संबंध में नियोजित हैं जो कि इस अधिनियम के कारण उत्पादक कंपनी में निहित हो गई है, यथास्थिति, परिवर्तन से, उत्पादक कंपनी के अधिकारी या अन्य कर्मचारी होंगे और उसमें तब तक पद धारण करेंगे या उसी अवधि तक सेवा में, और उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं शर्तों और निबंधनों तथा उन्हीं बाध्यताओं के साथ और छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, कल्याण स्कीम, चिकित्सा फायदा स्कीम, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधियों, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उपदान और अन्य फायदों के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार रखेंगे जो ये तत्कालीन अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी में धारण करते हों, यदि यह उपक्रम, उत्पादक कंपनी में निहित नहीं हुई होती और यथास्थिति अधिकारी या उत्पादक कंपनी के अन्य कर्मचारी के रूप में ऐसा करना जारी रखेंगे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी उत्पादक कंपनी के नियोजन में न रहने का विकल्प चुनता है, वहां ऐसा अधिकारी या कर्मचारी त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा ।

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अंतर्राज्यीय सहकारी

1947 का 14

सोसाइटी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का उत्पादक कंपनी में अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा, और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा गृहीत नहीं किया जाएगा ।

(5) अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो परिवर्तन से पूर्व अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और किन्हीं फायदों, अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है, वह उत्पादक कंपनी से उन्हीं फायदों, अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(6) अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए सृजित किन्हीं अन्य निकायों और अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी की उपदान निधि या भविष्य निधि के न्यास, उत्पादक कंपनी में उसी प्रकार से अपने कृत्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे उस अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी में कर रहे थे और कोई कर छूट जो भविष्य निधि या उपदान निधि को अनुदत्त की गई थी, उत्पादक कंपनी को लागू रहना जारी रहेगी ।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अन्य व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के कारबार और मामलों को संपूर्ण रूप से या सारवान रूप से प्रबंध करने का हकदार है, वह पद की हानि या किसी ऐसी प्रबंध संविदा के समय पूर्व भंग होने के लिए जो उसने अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी के साथ किया था, अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी या उत्पादक कंपनी के विरुद्ध के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

भाग 3

उत्पादक कंपनी का प्रबंध

निदेशकों की संख्या ।

378ण. प्रत्येक उत्पादक कंपनी में कम से कम पांच और पंद्रह से अनधिक निदेशक होंगे :

परंतु किसी अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी जो एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित हुई है की दशा में, ऐसी कंपनी में, उत्पादक कंपनी के रूप में इसके निगमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पंद्रह से अधिक निदेशक हो सकेंगे ।

निदेशकों की नियुक्ति ।

378त. (1) धारा 378 ढ में यथा उपबंधित के सिवाय, वे सदस्य जिन्होंने ज्ञापन और अनुच्छेदों को हस्ताक्षरित किया है उसमें कम से कम पांच निदेशक मंडल को पदाभिहित कर सकेंगे, जो उत्पादक कंपनी के मामलों को तब तक शासित करेंगे जब तक इस धारा के उपबंधों के अनुसार निदेशक निर्वाचित नहीं हो जाते ।

(2) उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निदेशकों का निर्वाचन संचालित किया जाएगा:

परंतु किसी अंतर्राज्यीय सहकारी सोसाइटी की दशा में जो धारा 378त्र की

उपधारा (4) के अधीन एक उत्पादक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है, जिसमें कम से कम पांच निदेशक [जिसके अंतर्गत धारा 378ढ की उपधारा (1) के अधीन पद पर बने रहने वाले निदेशक भी हैं] ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को पद धारण करते हैं, इस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानों "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द रखे गए हैं ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वर्ष किंतु पांच वर्ष से अनधिक, जो अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट किया जाए, की अवधि के लिए निदेशक का पद धारण करेगा ।

(4) प्रत्येक निदेशक, जो अनुच्छेदों के अनुसार सेवानिवृत्त होता हे, वह निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(5) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, वार्षिक साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा बोर्ड के निदेशकों को निर्वाचित किया जाएगा या नियुक्ति की जाएगी ।

(6) बोर्ड, निदेशकों की कुल संख्या का 1/5 से अनधिक एक या अधिक विशेषज्ञ निदेशकों या अतिरिक्त निदेशक सहयोजित कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक के रूप में ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, जैसा बोर्ड ठीक समझे :

परन्तु विशेषज्ञ निदेशकों को अध्यक्ष के चुनाव में मत देने का अधिकार नही होगा किन्तु अध्यक्ष के रुप में निर्वाचित होने के पात्र होंगे, यदि इसके अनुच्छेदों द्वारा ऐसा उपबंध किया गया है :

परन्तु यह और कि वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए विशेषज्ञ निदेशक या अतिरिक्त निदेशक पद धारण करते हैं, ऐसी अवधि जैसी अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है, से अधिक नही होगी।

निदेशकों द्वारा पद रिक्त किया जाना

378थ. (1) उत्पादक कम्पनी के निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि—

(क) उसे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिध्ददोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता है और उसके संबंध में कम से कम छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया हो, अंतर्वलित है ;

(ख) उत्पादक कम्पनी जिसमें वह निदेशक है, किसी अन्य कम्पनी या संस्था या कोई अन्य व्यक्ति से कोई अग्रिम या ऋण लिया है, के पुनः भूगतान का व्यतिक्रम करता है और ऐसा व्यतिक्रम नब्बे दिनों के लिए निरन्तर रहता है;

(ग) वह उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह एक निदेशक है, से लिए गए किसी अग्रिम या ऋणों के प्रतिसंदाय को व्यतिक्रम करता है ;

(घ) उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह क निदेशक है जो—

(i) किसी निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखे और वार्षिक विवरणी फाइल नही किया है ; या

(ii) उस पर उस तारीख तक उसके निक्षेप या विधारित मूल्य या प्रश्रय बोनस या ब्याज, या लाभांश के भूगतान करने में असफल रहता है और ऐसी असफलता निरन्तर एक वर्ष या उससे ज्यादा तक

बनी रहती है;

(ङ) इस अधिनियम और अनुच्छेद के उपबंधो के अनुसार, उत्पादक कम्पनी जिसमें वह एक निदेशक है में, निदेशक के पद के निर्वाचन में व्यतिक्रम करता है;

(च) प्राकृतिक विपत्ति के कारण या ऐसे अन्य कारणों को छोड़कर इस अधिनियमों के उपबंधो के अनुसार उत्पादक कम्पनी, जिसमें वह एक निदेशक है का वार्षिक साधारण अधिवेशन या असाधारण अधिवेशन नही बुलाता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उत्पादक संस्था जो कि उत्पादक कम्पनी की सदस्य है को लागू होंगे।

बोर्ड की शक्ति और कृत्य।

378द. (1) इस अधिनियम और अनुच्छेद के उपबंधो के अध्यधीन, उत्पादक कम्पनी के बोर्ड निदेशक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों और बातों को करेगा, जिन्हें करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी या निम्नलिखित मामलों की ऐसी शक्तियां सम्मिलित की जा सकती है, अर्थात :—

(क) लाभाश संदेय का अवधारण करना;

(ख) साधारण अधिवेशन पर विधारित मूल्य और सिफारिश किए गए प्रश्रय की मात्रा के अनुमोदन का अवधारण करना;

(ग) नए सदस्यों का प्रवेश;

(घ) संगठनात्मक नीति, उद्देशयों, दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट स्थापन और वार्षिक उद्देश्यों का अनुसरण करना और बनाना तथा कारपोरेट रणनितियों और वित्तीय योजनाओं का अनुमोदन करना;

(ङ) अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट, उत्पादक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(च) इसके द्वारा मुख्य कार्यपालक और अन्य अधिकारियों पर अधीक्षण, निर्देशण और नियंत्रण करना;

(छ) उचित लेखा बहियों का रखरखाव करना, संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जाना और विशेषताओं पर उत्तर, यदि कोई हो, संपरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे ;

(ज) उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में उत्पादक कम्पनी की संपत्ति का अर्जन या निपटान करना;

(झ) उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में उत्पादक कम्पनी की निधियों का विनिवेश करना;

(ञ) किसी सदस्य, जोकि निदेशक या उसका रिश्तेदार नही हैं को उत्पादक कम्पनी के साथ कारबार क्रियाकलापों के संबंध में किसी उधार या अग्रिम को जारी करना;

(ट) उसके कृत्यों का निर्वहन में या उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथा अपेक्षित ऐसे अन्य उपायों या ऐसी अन्य कार्रवाइयां कर लेना।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियां उत्पादक कम्पनी की ओर से उसके अधिवेशन पर पारित संकल्प के द्वारा बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को हटाने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निदेशक या निदेशकों का समूह, जिसने बोर्ड का गठन नहीं किया है, उनके द्वारा किसी भी शक्तियों का प्रयोग नही किया जाएगा ।

378ध. उत्पादक कम्पनी के बोर्ड निदेशक उस कम्पनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और यह केवल ऐसा, उसके सदस्यों की वार्षिक साधारण अधिवेशन पर पारित संकल्पों के द्वारा करेंगे, अर्थातः—

(क) बजट का अनुमोदन और उत्पादक कम्पनी के वार्षिक लेखों का अंगीकृत करना;

(ख) प्रश्रय बोनस का अनुमोदन करना;

(ग) बोनस शेयरों को जारी करना;

(घ) सीमित विवरणी की घोषणा और प्रश्रय के वितरण पर निर्णय लेना;

(ङ) बोर्ड द्वारा किसी भी निदेशक को दिए जा सकने वाले; ऋणों की शर्तों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करना;

(च) सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए अनुच्छेद में आरक्षित प्रकृति के किसी संव्यवहार का अनुमोदन करना;

निदेशकों का दायित्व ।

378न. (1) इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत विधि या अनुच्छेदों के उल्लंघन में की गई किसी बात को जब निदेशक संकल्प के लिए मत या किसी अन्य साधन द्वारा अनुमोदित करते हैं ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वष्टि उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्पादक कम्पनी अपने निदेशक से बसूली का अधिकार रखेगी—

(क) जहां ऐसे निदेशक ने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन के परिणाम स्वरुप कोई लाभ कमाया है उस कमाए गए लाभ की बराबर कोई राशि का होगा;

(ख) जहां उत्पादक कम्पनी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उल्लघंन के परिणाम स्वरुप हानि या नुकसान होता है तो वह हानि या नुकसान उस राशि के बराबर होगा;

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित दायित्व के अतिरिक्त होगी और इस अधिनियम या कोई अन्य तत्समय प्रवृत विधि के अधीन निदेशक पर अधिरोपित दायित्व का अल्पीकरण में नही होगा;

निदेशकों की समिति ।

378प. (1) बोर्ड जैसा वह उचित समझे अपने कृत्यों के पर्याप्त निर्वहन में बोर्ड को सहायता करने के प्रयोजन के लिए ऐसी समितियों की संख्या को गठित कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड किसी समिति को अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित या मुख्य कार्यपालक को शक्तियों को सौपना नही करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन एक समिति बोर्ड के अनुमोदन से गठित की जा सकेगी, समिति के सदस्यों के रुप में जैसा उचित हो ऐसे व्यक्तियों की

संख्या को सहयोजित किया जा सकेगा :

परन्तु धारा 378ब के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक या उत्पादक कम्पनी का निदेशक ऐसी समिति का सदस्य होगा ।

(3) प्रत्येक ऐसी समिति बोर्ड के साधारण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से जैसा बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाए, कार्य करेगी ।

(4) फीस और भत्ते समिति को, जैसे बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, संदत्त किए जाएंगे ।

(5) समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के सामने उसके अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

बोर्ड का अधिवेशन और गणपूर्ति ।

378फ. (1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार और प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित किया जाएगा ।

(2) निदेशक बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना प्रत्येक निदेशक को भारत में होने के समय और प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में साधारण पते पर लिखित में दी जाएगी ।

(3) मुख्य कार्यपालक बोर्ड के अधिवेशन की तारीख से पूर्व, जो सात दिन से कम न हो, यथापूर्व सूचना देगा और यदि ऐसा करने में असफल होता है तो वह पांच हजार रुपए की शास्ति से दायी होगा :

परंतु बोर्ड की बैठक अल्पकालिक सूचना पर बुलाई जा सकेगी और उसके कारण बोर्ड द्वारा लिखित में रिकार्ड किए जाएंगे ।

(4) कम से कम तीन के अध्यधीन बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ।

(5) अनुच्छेदों में उपबंधित के सिवाय, निदेशक जिसमें सहयोजित निदेशक भी सम्मिलित हैं, को बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थिति के लिए ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे, जैसे साधारण अधिवेशन सदस्यों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

मुख्य अधिशासक और उसके कार्य ।

378ब. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक रखेगी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, और बोर्ड द्वारा सदस्यों के सिवाय व्यक्तियों के बीच से नियुक्त करेगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक बोर्ड का पदेन निदेशक होगा और ऐसा निदेशक चक्रानुक्रम से सेबा निवृत नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मुख्य कार्यपालक की अर्हता, अनुभव और सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी बोर्ड के द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(4) मुख्य कार्यपालक प्रबंध की ऐसी सारवान शक्ति के साथ न्यस्त होगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) उपधारा (4) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य कार्यपालक शक्तियों का उपयोग और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा अर्थात :—

(क) नैत्यिक स्वरुपी के प्रशासनिक कार्य करना जिसके अन्तर्गत

उत्पादक कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यो का प्रबंध करना भी शामिल है;

(ख) बैंक खातो का प्रचालन या बोर्ड के साधारणतया विशेष अनुमोदन के अध्याधीन कोई अधिकृत व्यक्ति बैंक खातो का प्रचालन इस निमित कर सकेगा;

(ग) उत्पादक कंपनी के नकद की सुरक्षित अभिरक्षा और अन्य आस्तियों के लिए प्रबंध करना;

(घ) ऐसे दस्तावेजों को, जैसे बोर्ड द्बारा अधिकृत किया जाए, कंपनी के लिए या और से हस्ताक्षरित करना;

(ङ) उचित लेखा बहियों को रखना, वार्षिक खातों को तैयार करना और उसकी संपरीक्षा करना, व संपरीक्षति खातों को बोर्ड के और सदस्यों को वार्षिक साधारण अधिवेशन में उनके समक्ष रखना;

(च) उत्पादक कंपनी के प्रचालन और कृत्यों से उन्हे अवगत कराने के लिए आवधिक सूचना सदस्यों को देना;

(छ) बोर्ड द्वारा उन्हे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों अनुसार पद पर नियुक्तियां करना;

(ज) लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीति, योजना और पालिसियों की विनिर्मित करने में बोर्ड की सहायता करना;

(झ) बोर्ड को, विधिक और प्रस्ताव से संबंधित विनियामक मामलों और किए जा रहे क्रिया कलापों और उनके संबंध में की गई आवश्यक कार्यवाही के संबंध में, सलाह देना;

(ञ) शक्तियों का उपयोग जैसा कारबार के सामान्य अनुक्रम में आवश्यक हो;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यो का निर्वहन करना और एसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना जैसा बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाए;

(6) मुख्य कार्यपालक, बोर्ड के साधारण अधीक्षण, निदेश और नयंत्रण के अधीन उत्पादक कंपनी के कार्यों का प्रबंध करेगा और उत्पादक कंपनी के किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्पादक कंपनी का सचिव ।

378भ. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी जो पांच करड़ रुपये से अधिक औसत वार्षिक व्यापारावर्त या कोई अन्य राशि जैसी तीन क्रमवर्ती वित्तीय वर्षो में विहित किया जाए रखती है, एक पूर्ण कालिक सचिव रखेगी

(2) कोई व्यक्ति पूर्ण-कालिक सचिव नियुक्त नही किया जाएग जब तक कि वह कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के अधीन गठित कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता न रखता हो। 1980 का 56

(3) यदि उत्पादक कंपनी उपधारा (1) के उपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है, अधिकतम एक लाख रुपये के अध्याधीन प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है एक हजार रुपये की शास्ति के लिए दायी होगा।

परंतु इस उपधारा के अधीन व्यतिक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही में कोई शास्ति अधिरोपित नही की जाएगी यदि यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के उपबंधो का अनुपालन करने के सभी

युक्तियुक्त प्रयास किए गए थे या कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि पूर्ण-कालिक सचिव रखना उसकी क्षमता से बाहर था।

गणपूर्ति।

378म. जब तक अधिक संख्या अनुच्छेद में अपेक्षित न हो, साधारण अधिवेशन को जारी रखने के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यो की चौथाई होगी

5

378य. धारा 378घ की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य एक मत रखेगा और मत के बराबर होने के मामले में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले के सिवाय एक मत देगा।

भाग 4

10

साधारण अधिवेशन

वार्षिक साधारण अधिवेशन

378यक. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य अधिवेशन के अतिरक्त अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रुप मे एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और उसके बुलाने की सूचना में वैसे ही अधिवेशन को विनिर्दिष्ट करेगी और उत्पादक कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन

15

की तारीख और उसके अगले अधिवेशन की बीच पंद्रह मास से अधिक का अंतराल नही होगाः

परन्तु रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन (पहला वार्षिक अधिवेशन न हों) को आयोजित करने के लिए समय को विस्तारित करने की अनुज्ञा दे सकेगा परन्तु यह अवधि तीन मासों से अधिक

20

नहीं होगी।

(2) एक उत्पादक कंपनी अपने निगमन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपना पहला वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी।

(3) सदस्य उत्पादक कंपनी के अनुच्छेदों को अंगीकृत करेंगे और वार्षिक साधारण अधिवेशन में अपने बोर्ड के निदेशकों को नियुक्त करेंगे।

25

(4) वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाने की नोटीस के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा अर्थातः—

(क) वार्षिक साधारण अधिवेशन की कार्यसूची;

(ख) पूर्ववर्ती वार्षिक साधारण अधिवेशन या असामान्य साधारण अधिवेशन के कार्यवृत;

30

(ग) कार्यालय निदेशक के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नाम यदि कोई हों जिसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध संबंध में अर्हता का विवरण भी सम्मिलित है;

(घ) उत्पादक कंपनी और उसकी सहायक यदि कोई हो, संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ हानि का लेखा निम्नलिखित के संबंध में उक्त कंपनी

35

के निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ होगी :—

(i) उत्पादक कंपनी की कार्य कलाप की स्थिति;

(ii) आरक्षित की गई प्रस्तावित राशि;

(iii) शेयर पूंजी से सीमित रुप से संदत्त की जाने वाली राशि;

(iv) प्रतिश्रय बोनस के रुप में सवितरित की गई प्रस्तावित

राशि;

(v) उत्पादक कंपनी और उसकी सहायक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली तात्विक तब्दीलिया और प्रतिबद्धता यदि कोई हो, जो उत्पादक कम्पनी जिससे तुलन पत्र संबंधित है, के वार्षिक लेखा की तारीख और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई है;

(vi) उर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण, विदेशी विनिमय से व्यय या उपार्जन से संबंधी महत्व के अन्य मामले;

(vii) कोई अन्य मामले जो अपेक्षित हो या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए;

(ङ) लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के लिए संकल्प प्रारुप का पाठ;

(च) किसी प्रारुप संकल्प का पाठ जिसके ज्ञापन या अनुच्छेदों को संशोधन करने के प्रस्ताव पर बोर्ड की सिफारिश के साथ साधारण अधिवेशन में बिचार किया गया है;

(5) निदेशक बोर्ड किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के हकदार एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित और विचारार्थ विषयों हेतु की गई अध्यापेक्षा पर अध्याय 7 में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधो के अनुसार असामान्य साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए अग्रसर हो । या

(6) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन कारबार के घन्टों, उस दिन जब सार्वजिनिक अवकाश न हो पर बुलाई जाएगा और उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या शहर, कस्बा या गाँव जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रिकृत कार्यालय स्थित है किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा ।

(7) उत्पादक कंपनी का एक साधारण अधिवेशन लिखित में कम से कम चौदह दिन का पूर्व नोटिस दे कर बुलाया जाएगा ।

(8) साधारण अधिवेशन के नोटिस में तारीख, समय और स्थान उपदर्शित किया जाएगा और उत्पादक कंपनी के प्रत्येक सदस्य और लेखा परीक्षक को भेजा जाएगा ।

(9) जब तक उत्पादक कंपनी के अनुच्छेद में अधिक संख्या के लिए उपबंध न हो उत्पादक कंपनी के सदस्यों की कुल संख्या का एक चौथाई उसके वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए गणपूर्ति होगी ।

(10) निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन की प्रक्रिया, संपरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि का लेखा, उस तारीख से जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया है से साठ दिनों के भीतर, इस अधिनियम के अधीन यथा लागू फाइल की गई फीस के साथ वार्षिक विवरणी सहित रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

(11) उस दशा में, जहाँ कोई उत्पादक कंपनी उत्पादक संस्थाओं द्वारा बनाई गई है, ऐसी संस्थाओं का साधारण निकाय में, उसके अध्यक्ष या मुख्य अधिशासक के माध्यम से, जो इस निमित्त कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, प्रतिनिधित्व किया जाएगा :

परन्तु किसी उत्पादक संस्था का प्रतिनिधित्तव नहीं किया जाएगा यदि ऐसी

संस्था धारा 378थ की उपधारा (1) के खंड (घ) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यतिक्रम में है या असफल है ।

भाग 5

शेयर पूंजी और सदस्यों के अधिकार

शेयर पूंजी ।

378यख. (1) उत्पादक कंपनी की शेयर पूंजी केवल सामान शेयरों से गठित होगी ।

(2) उत्पादक कंपनी में किसी सदस्य द्वारा धारित किए गए शेयर, जहां तक हो सके, उस कंपनी प्रतिश्रय के अनुपात में होंगे ।

विशेष उपयोक्ता के अधिकार ।

378यग. (1) उत्पादक, जो सक्रिय सदस्य है यदि अनुच्छेद में ऐसा उपबंधित किया गया है वह विशेष अधिकार रखेगा और उत्पादक कंपनी ऐसे विशेष अधिकार के संबंध में उसे समुचित लिखत जारी कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए उत्पादक कंपनी के लिखत इस निमित्त बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उस उत्पादक कंपनी के किसी अन्य सक्रिय सदस्य को अंतरणीय होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "विशेष अधिकार" अभिव्यक्ति से सक्रिय सदस्य द्वारा अतिरिक्त उत्पादन प्रदाय के संबंध में कोई अधिकार या उसके उत्पादन के संबंध में कोई अन्य अधिकार, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सके, अभिप्रेत है ।

शेयरों की अंतरणीयता और परिचारक के अधिकार ।

378यघ. (1) उपधारा (2) से उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उत्पादक कंपनी के सदस्यों के शेयर अंतरणीय नहीं होंगे ।

(2) उत्पादक कंपनी के सदस्य बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी विशेष अधिकार सहित अपने शेयरों को संपूर्ण रूप से या भाग रूप से किसी सक्रिय सदस्य को उसकी मूल्य के अनुसार अंतरण कर सकेंगे ।

(3) प्रत्येक सदस्य, उसके उत्पादक कंपनी में सदस्य बनने के तीन मास के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसको उसकी मृत्यु की दशा में उत्पादक कंपनी में उसके शेयर निहित होंगे, अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(4) नामिती सदस्य की मृत्यु पर उत्पादक कंपनी के शेयरों में सभी अधिकारों का हकदार होगा और उस कंपनी का बोर्ड उसके नामिती को मृतक सदस्य के शेयरों का अंतरण करेगी :

परंतु उस मामले में, जहां ऐसा नामिती उत्पादक नहीं है, विशेष अधिकारों सहित शेयरों को, यदि कोई हों, उत्पादक कंपनी मूल्य के अनुसार या ऐसे अन्य मूल्य पर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, को अभ्यर्पण करने का निदेश दे सकेगी ।

(5) जहां उत्पादक कंपनी के बोर्ड की राय है कि—

(क) कोई सदस्य प्राथमिक उत्पादक नहीं रह गया है ; या

(ख) कोई सदस्य अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट किसी सदस्य होने की अपनी अर्हताएं धारित करने में असफल हो गया है,

तो बोर्ड विशेष अधिकारों सहित, यदि कोई हों, उत्पादक कंपनी को मूल्यानुसार या ऐसे मूल्य पर, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए,शेयरों को अभ्यर्पण कर

सकेगा :

परंतु बोर्ड शेयरों के ऐसे अभ्यर्पण का निदेश नहीं देगा जब तक सदस्य को लिखित में नोटिस और सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

लेखा बहियां ।

378यङ. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी निम्न के संबंध में उचित लेखा बहियों को अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी—

(क) उत्पादक कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए और व्यय की गई सभी धनराशियां और वे मामले, जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय होता है ;

(ख) उत्पादक कंपनी द्वारा माल के सभी विक्रय और क्रय ;

(ग) उत्पादक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए दायित्व के लिखत ;

(घ) उत्पादक कंपनी की आस्तियां और दायित्व ;

(ङ) उत्पादक कंपनी की दशा में उत्पादन, प्रक्रिया और विनिर्माण सामग्रियां या श्रम या लागत के अन्य मद के उपयोग के संबंध में लगाई गई विशिष्टियां ।

(2) उत्पादक कंपनी के तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे, जहां तक संभव हो, धारा 129 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएंगे ।

आंतरिक संपरीक्षा ।

378यच. प्रत्येक उत्पादक कंपनी जारी किए गए अपने लेखे की आंतरिक संपरीक्षा ऐसे अंतरालों और ऐसी रीति से जैसा अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराएगी । 1949 का 38

इस अध्याय के अधीन लेखापरीक्षक के कर्तव्य ।

378यछ. धारा 143 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखापरीक्षक निम्नलिखित अतिरिक्त मामलों के संबंध में रिपोर्ट उत्पादक कंपनी को देगा, अर्थात् :—

(क) डूबे ऋणों की विशिष्टियों के साथ देय प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो ;

(ख) नकद अतिशेष और प्रतिभूतियों के सत्यापन ;

(ग) आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे ;

(घ) सभी संव्यवहार, जो इस अध्याय के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतीत हों ;

(ङ) निदेशकों को उत्पादक कंपनी द्वारा दिए गए ऋण ;

(च) उत्पादक कंपनी द्वारा दिए गए संदान या अभिदान ;

(छ) अन्य मामले, जैसे संपरीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से विचारित किए जाएं ।

उत्पादक कंपनी द्वारा संदान या अभिदान ।

378यज. कोई उत्पादक कंपनी किसी संस्था या व्यक्ति को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए,—

(क) उत्पादक सदस्य या उत्पादक या साधारणजन के सामाजिक

और आर्थिक कल्याण का संवर्धन ; या

(ख) पारस्परिक सहायता सिद्धांतों के संवर्धन के लिए,

संदान या अभिदान कर सकेगी :

परंतु किसी वित्त वर्ष में सभी ऐसे संदान और अभिदान की कुल धनराशि उस वर्ष, जिसमें संदान या अभिदान किया गया है, से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में उत्पादक कंपनी के कुल लाभ के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि कोई उत्पादक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनैतिक पार्टी या किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को कोई अंशदान या अभिदान या किसी सुविधा को, जिसके अंतर्गत कार्मिक या तात्विक भी सम्मिलित है, को प्राप्त करने के लिए नहीं करेगी ।

साधारण और अन्य आरक्षिती ।

378यझ. (1) प्रत्येक उत्पादक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी साधारण आरक्षिती को, जो अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किए जाए किसी आरक्षिती के अतिरिक्त होंगे, रखेगी ।

(2) उस दशा में, जहां उत्पादक कंपनी के पास किसी वित्त वर्ष में अनुच्छेदों में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षिती रखने हेतु अंतरण के लिए पर्याप्त निधि नहीं है वहां आरक्षिती के अंशदान उस वर्ष में उस कंपनी के कारबार में उनके प्राश्रय के अनुपात में सदस्यों को वितरित किए जाएंगे ।

बोनस शेयरों का निर्गमन ।

378यञ. कोई उत्पादक कंपनी बोर्ड की सिफारिश पर साधारण अधिवेशन में, पास किए गए संकल्प पर ऐसे शेयरों के निर्गमन की तारीख पर, सदस्यों द्वारा धारित किए गए अनुपात में धारा 378यझ में निर्दिष्ट साधारण आरक्षितियों से रकम के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन कर सकेगी ।

भाग 7

सदस्यों को ऋण और विनिधान

सदस्यों को ऋण आदि ।

378यट. अनुच्छेद में बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, उत्पादक कम्पनी के सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के तौर पर—

(क) छह मास से अनधिक के लिए उत्पादक कम्पनी के कारबार के संबंध में किसी सदस्यों को उधार सुविधा ;

(ख) किसी सदस्य को अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण और अग्रिम, ऐसे ऋण या अग्रिमों के वितरण की तारीख से तीन मास से अधिक अवधि के भीतर किन्तु सात वर्ष से अनधिक पर प्रति संदत्त होंगे :

परन्तु किसी निदेशक या उसके नातेदार को कोई ऋण या अग्रिम साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के बाद स्वीकृत किया जाएगा।

समनुषंगी आदि को बनाने, अन्य कंपनियों में निवेश ।

378यठ. (1) किसी उत्पादक कम्पनी के साधारण रिजर्व को सरकार या सह-कारित या अधिसूचित बैंक या यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे अन्य ढंग द्वारा जारी अनुमोदित प्रतिभूति, नियतकालिक निक्षेपों, इकाईयों, बांड से उपलब्ध सुरक्षित

उच्चतर प्रत्यागम में निवेश करेगी ।

(2) कोई उत्पादक कंपनी अपने उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए किसी दूसरी उत्पादक कंपनी के शेयर अर्जन कर सकेगी ।

(3) कोई उत्पादक कंपनी, इस निमित्त, विशेष संकल्प द्वारा उत्पादक कंपनी के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए शेयर पूंजी को या कोई करार करने में या अन्य ठहराव, यदि अपनी समनुषंगी कंपनी को बनाने के रूप में, सह उद्यम या किसी निगमित निकाय के साथ कोई अन्य रीति में प्रतिश्रुत कर सकेगी ।

(4) कोई उत्पादक कंपनी या स्वयं से या अपनी समनुषंगियों के साथ उसकी समस्त पूंजी और मुक्त रिजर्व के संकलित तीस प्रतिशत से अनधिक किसी राशि के लिए उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अधीन प्रतिश्रुत पूंजी उत्पादक कंपनी से भिन्न किसी अन्य कंपनी में निवेश प्रतिश्रुत के तौर पर क्रय या शेयरों के बिना कर सकेगी :

परंतु उत्पादक कंपनी अपने साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प द्वारा और केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इस धारा में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक में निवेश कर सकेगी ।

(5) उत्पादक कंपनी द्वारा सभी विनिधान किए जांएगे, यदि ऐसे विनिधान उत्पादक कंपनी के उद्देश्यों के साथ संगत है ।

(6) उत्पादक कंपनी बोर्ड उपधारा (3) और उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट इसके किसी विनिधानों का निपटारा करने के लिए एक विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जा सकेगा ।

(7) प्रत्येक उत्पादक कंपनी, कंपनी का नाम दर्शाते हुए सभी विनिधानों के विशिष्टियों से युक्त एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें अर्जित किए गए शेयर, शेयरों की संख्या और मूल्य; अर्जन की तारीख; और रीति और कीमत जिसमें कोई शेयर तत्पश्चात् निपटाए गए हों ।

(8) उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रखा जाएगा और उसे किसी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा, जो उससे उद्धरणों को ले सकेगा ।

भाग 8

दंड

उल्लंघन के लिए दंड ।

378यड. (1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पादक कंपनी से भिन्न है, किसी नाम से कारबार को करता है जो "उत्पादक कंपनी लिमिटेड" शब्दों को अंतर्विष्ट करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो उसके द्वारा प्रयुक्त ऐसे नाम पर प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक हो सकेगा ।

(2) यदि उत्पादक कंपनी का निदेशक या अधिकारी इस निमित्त सम्यक रुप से प्राधिकृत सदस्य या किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित उत्पादक कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित किसी सूचना को देने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कारावास के लिए दायी होगा जो छह मास तक का हो सकेगा और पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापारावृर्त के पांच प्रतिशत के बराबर जुर्माना

हो सकेगा ।

(3) यदि उत्पादक कंपनी का निदेशक या अधिकारी—

(क) उत्पादक कंपनी को उसकी अभिरक्षा में लेखा बही और अन्य दस्तावेजों या संपत्ति की अभिरक्षा को सौंपने में असफल रहता है ; या

(ख) वार्षिक साधारण बैठक या अन्य साधारण बैठकों को बुलाने में असफल रहता है,

वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, और त्रुटि तथा असफलता के जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने के साथ ऐसे त्रुटि और असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक हो सकेगा ।

अध्याय 9

समामेलन, विलयन या विभाजन

नए उत्पादन कंपनियों को बनाने के लिए समामेलन, विलयन या विभाजन आदि ।

378.यढ (1) एक उत्पादक कंपनी, अपने साधारण बैठक में संकल्प पारित करके—

(क) किसी अन्य उत्पादक कंपनी को संपूर्ण या भाग में उसकी आस्तियों और दायित्वों को अंतरित करने का विनिश्चय, जो धारा 378 ख में विनिर्दिष्ट किसी उद्देश्यों के लिए उसकी साधारण बैठक में पारित किए गए संकल्प द्वारा ऐसे अंतरित करने के लिए सहमति होती है;

(ख) दो या दो से अधिक नए उत्पादक कंपनियों में इसका विभाजन कर सकेगा ।

(2) कोई दो या दो से अधिक उत्पादक कंपनी अपने सदस्यों के किसी साधारण या विशेष बैठकों में संकल्प पारित करने के द्वारा यह विनिश्चय करेगी—

(क) नए उत्पादक कंपनी का समामेलन और प्ररुप; या

(ख) किसी एक उत्पादक कंपनी (इसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में "विलयन कंपनी" कहा गया है) का किसी अन्य उत्पादक कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में "विलय की गई कंपनी" कहा गया है) के साथ विलयन ।

(3) इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी के प्रत्येक संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इसके साधारण बैठक में पारित किया जाएगा, ऐसा मताधिकार उपस्थित और मतदान करने वाले इसके सदस्यों के दो तिहाई के कम नहीं होगा और ऐसा संकल्प आस्तियों और दायित्वों, या विभाजन, समामेलन या विलयन, जैसी भी दशा हो, के अंतरण की सभी विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(4) इस धारा के अधीन संकल्प के पारित होने के पूर्व उत्पादक कंपनी सभी सदस्यों और लेनदारों को प्रस्तावित संकल्प की प्रति के साथ लिखित में उसकी सूचना देगा जो अपनी सहमति दे सकेगा ।

(5) किसी अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी या किसी प्रतिकूल संविदा में, कोई सदस्य, या कोई लेनदार संकल्प से सहमत न होते हुए उसकी सूचना की तामीली की तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान, विकल्प

होगा—

(क) ऐसे सदस्य के मामले में, जो अपना शेयर अंतरित करने के लिए किसी सक्रिय सदस्य को बोर्ड के अनुमोदन के साथ उस कंपनी के सदस्य के रुप में न रह जाना; या

(ख) लेनदार के मामले में, अपने निक्षेप या ऋण या अग्रिम के प्रत्याहरण के लिए, जैसी भी दशा हो ।

(6) कोई सदस्य या लेनदार, जो उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, ऐसे संकल्प को सहमति दिया हुआ समझा जाएगा ।

(7) इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी द्वारा पारित कोई संकल्प एक माह की समाप्ति तक या सभी सदस्यों या लेनदारों की अनुमति प्राप्त हो जाने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावी नहीं होगा ।

(8) इस धारा में विनिर्दिष्ट संकल्प—

(क) भविष्य में उत्पादक कंपनी के कार्यकलापों संचालन करने के लिए विनियम ;

(ख) किसी अन्य सदस्यों या उत्पादक कंपनी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी के सदस्य के शेयर या हित का क्रय ;

(ग) एक उत्पादक कंपनी का दूसरे उत्पादक कंपनी के द्वारा शेयरों को क्रय करने की दशा में, इसकी शेयर पूंजी की परिणामी कमी ;

(घ) किसी करार का पर्यवसान, अपास्त करना या उपांतर करना, तथापि, एक ओर कंपनी तथा दूसरी ओर निदेशक, सचिव और प्रबंधक के बीच की गई ऐसी शर्तों और निबंधनों के अलावा शेयर धारकों की बहुमत की राय में मामलों के परिस्थितियों में न्यायसंगत और साम्यगत होगा ;

(ङ) उत्पादक कंपनी और कोई व्यक्ति जो खंड (घ) में विनिर्दिष्ट नहीं है के बीच किसी करार का पर्यवसान, अपास्त या उपांतरण, के लिए उपबंध करेगा :

परंतु ऐसा कोई करार संबद्ध पक्षकार को सम्यक सूचना देने के पश्चात् पर्यवसान, अपास्त या उपांतरित नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसे करार संबद्ध पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् के सिवाय उपांतरित नहीं होंगे ।

(च) किसी अंतरण को अपास्त करने, माल का परिदान, संदाय, निष्पादन या संपत्ति से संबंधित कोई अन्य कार्य उत्पादक कंपनी के विरुद्ध संकल्प के पारित होने की तारीख के पूर्व तीन मास के भीतर किया जाता है या किया गया है जो यदि किसी व्यष्टि के विरुद्ध किया जाता है या किया गया है एक कपटपूर्ण अधिमान होते हुए उसको दिवालिया समझा जाएगा ।

(छ) उत्पादक कंपनी की संपत्ति या दायित्व के संपूर्ण या उसके भाग के रुप में विलय की गई कंपनी को अंतरण;

(ज) विलय की गई कंपनी में किसी शेयर, डिबेंचर, नीतियों या अन्य हितों को विलय की गई कंपनी द्वारा आबंटन या विनियोजन ;

(झ) किसी उत्पादक कंपनी के द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित कोई विधिक कार्यवाहियों के विलय की गई कंपनी के विरुद्ध या उसके द्वारा जारी रहना;

(ञ) किसी उत्पादक कंपनी का परिसमापन के बिना विघटन;

(ट) सदस्यों या लेनदारों के लिए किया गया कोई उपबंध जो विसम्मत में हो;

(ठ) उत्पादक कंपनी द्वारा संदत्त कोई कर, यदि कोई हो;

(ड) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक मामले जो विभाजन, समामेलन या विलयन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है संपूर्णत: और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किए जाएंगे ।

(9) जब इस धारा के अधीन उत्पादक कंपनी द्वारा पारित संकल्प प्रभावी होता है, तब वह संकल्प अंतरिती में आस्तियों और दायित्वों का निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरण होगा ।

(10) उत्पादक कंपनी सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों का पूर्णतया या अन्यथा संतुष्ट होने पर बैठक के लिए व्यवस्था करेगा, जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विकल्प का प्रयोग करेगा, सदस्य या लेनदार के रुप में, जैसी भी स्थिति हो जारी न रखने के लिए ।

(11) जहां उत्पादक कंपनी की संपूर्ण आस्तियां और दायित्व उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में किसी अन्य उत्पादक कंपनी को अंतरित की गई है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसका विलयन किया गया है, प्रथम उल्लिखित का रजिस्ट्रीकरण या विलय की गई कंपनी, जैसी भी दशा हो, रद्द होगी और वह कंपनी विघटित समझी जाएगी और तत्काल प्रभाव से कारपोरेट निकाय के रुप में विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

(12) जहां दो या दो अधिक उत्पादक कंपनियां उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार नए उत्पादक कंपनी में समामेलित होती हैं और इस प्रकार बनाई गई उत्पादक कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा सम्यक रुप से रजिस्ट्रीकृत की गई है, प्रत्येक समामेलित कंपनियों का ऐसा रजिस्ट्रीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा और प्रत्येक कंपनी कारपोरेट निकाय के रुप में विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

(13) जहां उत्पादक कंपनी उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में दो या अधिक उत्पादक कंपनी में स्वयं विभाजित होती है और नया उत्पादक कंपनी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत हो गई है, तत्कालीन उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रीकरण तत्काल रद्द होगा और कंपनी विघटित समझी जाएगी और कारपोरेट निकाय के रुप में विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

(14) पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन कंपनियों का समामेलन, विलयन या विभाजन किसी भी रीति में नहीं होगी, जो भी पूर्वाधिकार या दायित्व और विधिक कार्यवाहियां जारी रखी गई हैं या किसी तत्कालीन कंपनी के द्वारा या उसके विरुद्ध आरंभ की गई हैं तो ऐसा समामेलन, विलयन या विभाजन परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा या आरंभ किया जा सकेगा, जैसी भी दशा हो ।

(15) रजिस्ट्रार उपधारा (11) से उपधारा (14) के अधीन विघटित की गई प्रत्येक उत्पादक कंपनी के नामों को काट देगा ।

(16) आस्तियों के अंतरण, विभाजन, समामेलन या विलयन द्वारा पीड़ित कोई सदस्य या लेनदार या कर्मचारी अधिकरण के समक्ष संकल्प के पारित होने के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा ।

(17) अधिकरण संबद्ध व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, उसमें आदेश पारित करेगा ।

(18) जहां उपधारा (16) के अधीन दाखिल की गई अपील, आस्तियों का अंतरण, विभाजन, समामेलन या उत्पादक कंपनी का विलयन अधिकरण के विनिश्चयों के अधीन होगा ।

भाग 10

विवादों का समाधान

विवाद ।

378यण. (1) जहां किसी उत्पादक कंपनी के निर्माण, प्रबंधन या कारबार से संबंधित कोई विवाद पैदा होता है—

(क) सदस्यों, पूर्व सदस्यों या सदस्यों के विरुद्ध दावा करने वाले व्यक्ति या मृत सदस्यों के नामिती के विरुद्ध ; या

(ख) सदस्य, पूर्व सदस्य या सदस्य के रुप् में दावा करने वाले व्यक्ति या मृत सदस्य के नामिती और उत्पादक कंपनी के बीच इसके निदेशक बोर्ड, पदाधिकारी या पूर्व या वर्तमान समापक; या

(ग) उत्पादक कंपनी या इसके बोर्ड, और किसी निदेशक, पदाधिकारी या किसी पूर्व निदेशक या नामिती, उत्तराधिकारी या उत्पादक कंपनी के मृत निदेशक के विधिक प्रतिनिधि के बीच,

ऐसे विवाद माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1956 के अधीन यथाउपबंधित सुलह द्वारा या माध्यस्थम द्वारा निपटाया जाएगा, यदि विवाद के पक्षकार सुलह और माध्यस्थम द्वारा ऐसे विवादों के अवधारण के लिए लिखित में सहमति दे चुके हों और अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विवाद में सम्मिलित होगा—

(क) किसी ऋण या अन्य बकाया रकम के लिए दावा;

(ख) मूल लेनदार के विरुद्ध प्रतिभू द्वारा दावा, जहां उत्पादक कंपनी किसी अन्य लेनदार या उसके मूल लेनदार से बकाया कोई अन्य रकम के संबंध में प्रतिभू रकम से प्रतिउद्धृत किया गया । मूल लेनदार के त्रुटि के परिणामस्वरुप जहां ऐसे ऋण या बकाया रकम स्वीकृत हो या न हों ;

(ग) उसे यथाअपेक्षित पूर्ति के लिए असफल होने पर सदस्य के विरुद्ध उत्पादक कंपनी द्वारा दावा ;

(घ) उत्पादक कंपनी के विरुद्ध सदस्य द्वारा उसे मालों की पूर्ति न करने के लिए दावा;

(2) उत्पादक कंपनी के निर्माण, प्रबंधन या कारबार के संबंध में विवाद होने पर यदि कोई प्रश्न पैदा होता है तो मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा,

जिसका उस पर किया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

भाग 11

प्रकीर्ण उपबंध

उत्पादक कंपनी के नाम को काटा जाना ।

378यत. (1) जहां एक उत्पादक कंपनी अपने रजिस्ट्रीकरण के एक वर्ष के भीतर कारबार को आरंभ करने में असफल रहती है या सदस्यों के साथ कारबार का संव्यवहार नहीं कर पाती है या यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, कि उत्पादक कंपनी धारा 378ख में विनिर्दिष्ट अपने किसी उद्देश्यों को जारी नहीं रखती है, वह उत्पादक कंपनी के नाम को काटने का आदेश देगा, जो इसके पश्चात् तत्काल रुप से विद्यमान नहीं रह जाएगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश यथापूर्वोक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रार के द्वारा उत्पादक कंपनी को कारण बताओ सूचना पारित नहीं कर दी जाएगी, इसके सभी निदेशकों को प्रस्तावित कार्रवाई और युक्तियुक्त अवसर की प्रति के साथ इस मामले में दिए गए निदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) जहां रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि एक उत्पादक कंपनी विनिर्दिष्ट पारस्परिक सहायता सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है, धारा 248 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में रजिस्टर से उसका नाम काट देगा ।

(3) उत्पादक कंपनी का कोई सदस्य, जो उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा पीड़ित है, आदेश के साठ दिनों के भीतर अधिकरण में अपील कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन अपील दाखिल की गई है, नाम को काटने का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अपील का निपटारा न हो जाए ।

इस अध्याय के उपबंधों का अन्य विधियों पर अभिभावी होना ।

378यथ. इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगतता के रहते हुए या ऐसे विधि के आधार पर प्रभावी कोई लिखत प्रभावी नहीं होगी; परंतु ऐसे अधिनियम या विधि या लिखत के उपबंध जिसमें उसका फेरफार नहीं किया गया है, या उससे असंगत है, इस अध्याय के उपबंध उत्पादक कंपनी को लागू होंगे ।

प्राइवेट कंपनियों से संबंधित उपबंधों का लागू होना ।

378यद. इस अध्याय में विनिर्दिष्ट से भिन्न इस अधिनियम के सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध प्राइवेट कंपनी को लागू होने वाले उत्पादक कंपनी को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे यदि इस अधिनियम के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में न हो ।

भाग 12

अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए उत्पादक कंपनी का पुन:संपरिवर्तन

अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए उत्पादक कंपनी का पुन:संपरिवर्तन ।

378यध. (1) इस अध्याय के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत एक तात्कालिक अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी होते हुए कोई उत्पादक कंपनी—

(क) उपस्थित और मतदान करने वाले इसके दो-तिहाई से अनधिक सदस्यों द्वारा साधारण बैठक में एक संकल्प पास करने के पश्चात् ; या

(ख) इसके कुल लेनदारों के दो-तिहाई मूल्य के इसके लेनदारों के अनुरोध पर, अंतरराज्यिक सहकारी सोसाइटी के लिए इसके पुन:संपरिवर्तन हेतु अधिकरण को,

आवेदन कर सकेगी ।

(2) अधिकरण उपधारा (1) के अधीन आवेदन देकर इसके सदस्यों या ऐसे लेनदारों, जैसी भी दशा हो, को बैठक आयोजित करने के लिए निदेश देगा जो ऐसी रीति से संचालित होगा जो निदेशित किया गया हो ।

(3) यदि लेनदारों या सदस्यों, जैसी भी दशा हो, तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव, उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में संचालित बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य पुन:संपरिवर्तन के लिए सहमत है, यदि अधिकरण के द्वारा मंजूर किया जाता है तो सभी सदस्यों और सभी लेनदारों के ऊपर बाध्यकारी होगा, और कंपनी संपरिवर्तित भी हो जाएगी :

परंतु पुन:संपरिवर्तन की मंजूरी का आदेश अधिकरण के द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को प्रकट करते हैं, और शपथ पत्र या अन्यथा के द्वारा सभी सारवान तत्व जो कंपनी से संबंधित है जैसे कि कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, कंपनी की लेखाओं का लेखा परीक्षक तत्कालिक रिपोर्ट, अध्याय 14 के अधीन कंपनी से संबंधित किसी अन्वेषण प्रक्रियाओं का लंबित होना, और ऐसे अन्य जिसके द्वारा आवेदन दिया गया है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा दिया गया कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार को आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई है ।

(5) ऐसे आदेश की प्रति यथापूर्वोक्त दाखिल की गई आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने के पश्चात् कंपनी के ज्ञापन की प्रत्येक प्रति को उपाबद्ध किया जाएगा या कंपनी के मामले में, इसके पास ज्ञापन न हो, ऐसे जारी की गई प्रत्येक प्रति कंपनी के गठन के लिए या उसे परिभाषित करने के लिए लिखत के साथ हो ।

(6) उपधारा (4) को लागू करने के लिए की गई कोई त्रुटि, कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी त्रुटि करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, जिसमें प्रत्येक प्रति के संबंध में जो त्रुटि की गई है ।

(7) अधिकरण किसी भी समय आवेदन देने के पश्चात् जो इस धारा के अधीन दिया गया है इसके प्रारंभ को रोक सकेगा या किसी वाद के जारी रहने को या ऐसे अधिकरण को ऐसे शर्तों पर कंपनी के विरुद्ध प्रक्रिया को रोक सकेगा जैसा वह ठीक समझे, जब तक कि आवेदन का अंतिम रुप से निपटारा न हो जाए ।

(8) प्रत्यक उत्पादक कंपनी जो अधिकरण द्वारा पुन:संपरिवर्तन की मंजूरी की गई है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या सहकारी सोसाइटी जैसी भी दशा हो के अधीन अधिकरण

2002 का 39

द्वारा मंजूर छह महीने के भीतर आवेदन दे सकेगा और अधिकरण और कंपनियों के रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा, जिसके अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, जैसी भी दशा हो, के रुप में रजिस्ट्रीकृत की गई है ।

उत्पादक कंपनियों को इसके लागू होने में अधिनियम को उपांतरित करने की शक्ति ।

378यन. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम (इस अध्याय में अंतर्विष्ट से भिन्न) के उपबंधों के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट यह निदेश दे सकेगा कि—

(क) उत्पादक कंपनी या किसी वर्ग या प्रवर्ग को लागू नहीं होगा ;

(ख) अधिसचूना में विनिर्दिष्ट ऐसे अपवाद या अनुकूलन के साथ उत्पादक कंपनी या उसके किसी वर्ग या प्रवर्ग को लागू होगा ।

(2) प्रत्येक प्रस्तावित अधिसूचना की प्रति जो उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्ररुप के रुप में रखी जाएगी जब वह सत्र में हो, तीस दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक सत्र में समाविष्ट हो सकेगा या दो या दो से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, और यदि निम्नलिखित सत्र के अव्यवहित सत्र के समापन के पूर्व या उपर्युक्त क्रमवर्ती सत्रों के समापन के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना को जारी करने की अननुमोदित करने का करार करते हैं या दोनों सदन अधिसूचना में किसी उपांतरण को करार करते हैं तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या जैसी भी दशा हो, दोनों सदनों के सहमति पर ऐसे प्ररुप को उपांतरित किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

378यप. केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी ।

धारा 379 का संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 379 की उपधारा (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 392 का संशोधन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 392 में—

(क) शब्द "कारावास के साथ जो छह मास तक का हो सकेगा या" का लोप किया जाएगा;

(ख) शब्द "पांच लाख रुपये या दोनों" के स्थान पर शब्द "पांच लाख रुपये" रखा जाएगा ।

नई धारा 393 क का अंत:स्थापन ।

55. मूल अधिनियम की धारा 393 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इस अध्याय के अधीन छूट ।

393क. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग को छूट दे सकेगी—

(क) विदेशी कम्पनी;

(ख) भारत के बाहर निगमित की गई या निगमित की जाने वाली कम्पनी, चाहे कम्पनी के कारबार का स्थान भारत में है पर स्थापित की गई या नहीं स्थापित की गई है, या उसका गठन स्थापित किया जा सका है या नहीं स्थापित किया जा सका है ,

इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों से अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तथा ऐसे प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद के समक्ष यथासंम्भव शीघ्र रखी जाएगी

धारा 403 का संशोधन ।

56. मूल अधिनियम की धारा 403 में, उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा अर्थात :—

"परंतु यह भी कि किसी दस्तावेज, तथ्य या जानकारी जो विहित की जाए, को प्रस्तुत करने, फाईल करने या अभिलिखित करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम होता है इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अतिरिक्त उच्चतर अतिरिक्त फीस, जो विहित की जाए का संदाय करने पर यथास्थित फाईल, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित की जा सकेगी ।" ।

धारा 405 का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 405 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात :—

"(4) यदि कोई कम्पनी उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होती है या ऐसी सूचना या आंकड़े देगी जो किसी तात्विक बात के संबंध में गलत व अपूर्ण है, तो कम्पनी और कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी व्यतिक्रम मे है जो ऐसी शास्ति से जो पच्चीस हजार रूपय तक का हो सकेगा, दायी होगी और ऐसे लगातार असफल होने के मामले में वहां पहले दिन के पश्चातवर्ती प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के साथ होगी और उसके पश्चात जिसके दौरान ऐसे लगातार असफल होने की अधिकतम तीन लाख रुपए के अध्यधीन होगी ।" ।

धारा 410 का संशोधन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 410 में,—

(i) आरम्भिक भाग में, "ग्याहर से अनधिक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में "धारा 53 ढ" शब्दों, आंकडों तथा अक्षरों के स्थान पर "धारा 53 अ"शब्द आंकडे तथा अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 418 का अंत: स्थापन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 418 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित जाएगी, अर्थात :—

अपील अधिकरण की न्यायपीठ ।

"418अ. (1) अपील अधिकरण की शक्तियां अध्यक्ष द्वारा गठित उसकी न्यायपीठ द्वारा प्रयोगत्वय होंगी :

परंतु अपील अधिकरण की न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा ;

(2) अपील अधिकरण की न्यायपीठें साधारणतय नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर होगी जो केन्द्रीय सरकार के अध्यक्ष के साथ परामर्श में अधिसूचित करे :

परंतु केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 अ और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 के अधीन को निर्देशित, किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए जो वह आवश्यक समझे अपील अधिकरण की न्यायपीठों की ऐसी संख्या को स्थापित कर सकेगी ।"।

2003 का 12
2016 का 31

धारा 435 का संशोधन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 435 में, उपधारा (1) में "अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचना द्वारा सिवाय धारा

452 के अधीन, के इस अधिनियम के अधीन अपराध" शब्दों और आंकडें रखे जाएंगे ।

धारा 441 का संशोधन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 441 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :—

"(5), कम्पनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उपधारा (4) के अधीन अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस धारा के अधीन शमन किए जाने वाले प्रस्तावित अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम तत्स्थानी धारा में उपबंध की गयी रकम की दोगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड उपबंधित है ।" ।

धारा 446 ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 446 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

कतिपय कम्पनियों के लिए कमतर शास्तियां ।

'446ख. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए एक व्यक्ति कम्पनी, लघु कम्पनी, स्टार्ट-अप कम्पनी या उत्पादन कम्पनी या व्यतिक्रम में उसके अधिकारियों द्वारा या ऐसी कम्पनी के मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अननुपालन के लिए देय शास्ति को यथास्थित, व्यतिक्रम में ऐसी कम्पनी उसके अधिकारियों या कोई अन्य व्यक्ति उस शास्ति के लिए दायी होगा जो कम्पनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन ऐसे उपबंधों में विनिर्दिष्ट शास्ति के एक तिहाई से अनधिक होगी और किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जो यथास्थित व्यतिक्रम में या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में एक लाख रुपए होगी ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "उत्पादन कम्पनी " से धारा 378 क के खंड (1) में परिभाषित एक कम्पनी अभिप्रेत है ;

(ख) "स्टार्ट-अप कम्पनी" से इस अधिनियम के अधीन या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक निगमित प्राइवेट कम्पनी अभिप्रेत है और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में स्टार्ट-अप कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

1956 का 1

धारा 450 का संशोधन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 450 में, "जुर्माने, से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वहां पहले दिन के पश्चातवर्ती प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वह पहले दिन के पश्चातवर्ती प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जहां व्यतिक्रम जारी रहता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो कम्पनी के मामले में अधिकतम दो लाख रुपए के अधीन और किसी ऐसे अधिकारी जो व्यतिक्रम में है या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में पचास हजार

रुपए तक है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 452 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 452 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे या कर्मचारी, यथास्थिति, को सदोष कब्जा या निवास एकक को रोकने हेतु आदेश नहीं दिया जाएगा, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि कोई रकम, जो निम्नलिखित से संबंधित है, कंपनी ने किसी कर्मचारी या अधिकारी को संदत्त नहीं किया है—

(क) कंपनी द्वारा पोषित उसके अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए भविष्य निधि, उपदान निधि या कोई अन्य निधि ;

(ख) मृत्यु या निःशक्तता के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिकर के लिए प्रतिकर या दायित्व ।"।

धारा 454 का संशोधन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 465 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात :—

"परंतु धारा 92 की उपधारा (4) या धारा 137 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अननुपालन के संबंध में व्यतिक्रम के मामले में और ऐसा व्यतिक्रम न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा सूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर या उससे पूर्व परिशोधन किया जाता है, इस संबंध में कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यतिक्रम के मामले में इस धारा के अधीन सभी कार्रवाईयां समाप्त समझी जाएंगी ।" ।

धारा 465 का संशोधन ।

66. मूल अधिनियम की धारा465 में, उपधारा (1) में, —

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक में "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और" शब्द रखे जाएंगे ;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 (एक अधिनियम), कंपनियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम पणधारियों के प्रकटन, निदेशकों, संपरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की जबाबदेही, विनिधानकर्ता संरक्षण, कॉरपोरेट शासन और दंड न्यायालयों को अंतवर्लित किए बिना सिविल गलतियों को न्यायनिर्णित करने के लिए आंतरिक न्यायनिर्णायक तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पुर: स्थापन करता है।

2. विधि का पालन करने वाले कारपोरेटों के बने रहने की अधिक सुगमता को सुकर बनाने के सरकार के सतत् प्रयास को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के कुछ और उपबंधों को उनकी गंभीरता के आधार पर अदांडिक बनाने के लिए और देश में कारपोरेटों के बने रहने की और सुगमता प्रदान करने के लिए सहवर्ती उपायों को करने के लिए, 18 सितंबर , 2019 को उद्योग चेम्बरों, वृतिक संस्थाओं और विधिक बंधुत्व के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली कंपनी विधि समिति (सीएलसी) का गठन किया गया था । सीएलसी ने सुविचारित विश्लेषण के पश्चात् उसकी रिपोर्ट नवंबर, 2019 में प्रस्तुत की थी ।

3 सीएलसी की सिफारिश और केंद्रीय सरकार की आंतरिक संमीक्षा के आधार पर सरकार ने उक्त अधिनियम के उपबधों के अधीन सूक्ष्म प्रक्रियात्मक या तकनीकी गलती को सिविल दोष के रूप में अदांडिक बनाने के लिए अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संशोधन का प्रस्ताव किया है ; और न्यायालयों में सम्पूर्ण लम्बित मामलों पर विचार करते हुए, व्यतिक्रम के मामलों में दांडिकता को और हटाने के लिए सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण, जिसे निष्पक्ष रूप से अवधारित किया जा सकता है और जिसमें अन्यथा कपट का कोई तत्व नहीं है या वृहद लोक हित अंतवर्लित नहीं है, अंगीकृत किया था । इसके अतिरिक्त, सरकार ने अधिनियम में कतिपय अन्य संशोधनों के माध्यम से कॉरपोरेटों को बने रहने की अधिक सुगमता प्रदान करने का प्रस्ताव भी किया है ।

4. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) व्यतिक्रम, जिसे निष्पक्ष रूप से अवधारित किया जा सकता है और जिसमें अन्यथा कपट का कोई तत्व कम है या वृहद लोक हित अंतवर्लित नहीं है, के मामलों में अधिनियम के अधीन अपराधों को अदांडिक बनाना;

(ख) केंद्रीय सरकार को मुख्यत: ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए "सूचीबद्ध कंपनी" की परिभाषा से कंपनी के कतिपय वर्गों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ परामर्श करके अपवर्जित करने के लिए सशक्त करना;

(ग) कंपनी की संपत्ति के यथास्थिति, अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा सदोष विधारण के लिए अधिनियम की धारा 452 के अधीन अपराध किए जाने के स्थान के आधार पर विचारण न्यायालय की अधिकारिता स्पष्ट करना;

(घ) अधिनियम में उत्पादक कंपनी से संबंधित एक नया अध्याय 21 सम्मिलित करना, जो पहले कंपनी अधिनियम, 1956 का भाग था;

(ङ) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की न्यायपीठें स्थापित करना;

(च) लाभ के अपर्याप्त होने की दशा में गैर-कार्यकारी निदेशकों को ऐसे मामलों में कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक के साथ रखकर, पर्याप्त पारिश्रमिक का संदाय करने के लिए उपबंध बनाना;

(छ) धारा 403 में यथा उपबंधित किसी दस्तावेज, तथ्य या सूचना को प्रस्तुत करने, दाखिल करने, रजिस्ट्रीकृत करने या अभिलिखित करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम के लिए उच्चतर अतिरिक्त फीस अधिरोपित करने से संबंधित उपबंधों को शिथिल करना;

(ज) लघु कंपनियों या एक व्यक्ति कंपनी के लिए लघु शास्तियों से संबंधित धारा 446 ख के लागू होने का, अधिनियम के सभी उपबंधों, जो धनीय शास्तियों का आकृषित करते है, तक विस्तार करना और उत्पादक कंपनियां और स्टार्ट-अप, पर उन फायदों का विस्तार करना;

(झ) व्यक्तियों के किसी वर्ग को अंशों में फायदाप्रद हित की घोषणा से संबंधित धारा 89 की अपेक्षाओं के अनुपालन से अपवर्जित करना और भारत के बाहर निगमित कंपनियों से संबंधित अध्याय 12 के उपबंधों के लागू होने से कतिपय कंपनियों और कॉरपोरेट निकायो के किन्ही वर्गों को अपवर्जित करना;

(ञ) अधिकार के मुद्दों को लागू करने के लिए समय-सीमा को घटाना जिससे धारा 62 के अधीन जारी अधिकारों को गति प्रदान की जा सके;

(ट) धारा 117 के अधीन कतिपय संकल्पों को दाखिल करने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग वित्तीय कंपनियों के कतिपय वर्गों को छूटों का विस्तार करना;

(ठ) यह उपबंधित करने के लिए कि वे कंपनियां जिनका कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, बाध्यता के लिए 50 लाख रुपये तक खर्च करती है, उनके लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना अपेक्षित नहीं होगा और धारा 135 के अधीन पात्र कंपनियों द्वारा ऐसी बाध्यता के लिए किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में,कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बाध्यता के आधिक्य में खर्च की गई किसी रकम का पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में मुजरा किया जाना अनुज्ञात करना;

(ड) एक ऐसी विंडो प्रदान करने के लिए जिसमें कतिपय मामलों में वार्षिक विवरणियों और वित्तीय विवरणों को दाखिल करने में हुए विलंब के लिए शास्तियां उद्गृहीत नहीं की जाएगी;

(ढ) असूचीबद्ध कंपनियों के विनिर्दिष्ट वर्गों द्वारा उनके कालिक वित्तीय परिणामों को तैयार करने और उन्हें दाखिल करने के लिए उपबंध करना;

(ण) अनुज्ञेय विदेशी अधिकारिताओं जैसा कि नियमों के अनुसार विहित किया जाए, में भारतीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को सीधे सूचीबद्ध करने को अनुज्ञात करना ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट करता है ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 मार्च, 2020

निर्मला सीतारामण

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 एक नए परंतुक को अंतःस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2 का खंड (52) का संशोधन करने से संबंधित है, जो केन्द्रीय सरकार को कतिपय कंपनियों, जो मान्ताप्राप्त स्टाक एक्सचैंज पर कतिपय प्रतिभूतियों की सूची पर आधारित है, को अपवर्जित करने के लिए, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जा सके, सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा से प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परामर्श से समर्थ बनाती हैं ।

विधेयक का खंड 3 किसी अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने के लिए अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (11) का संशोधन करने से संबंधित है, जो उसमें उल्लिखित अपराध के लिए व्यतिक्रमी है ।

विधेयक का खंड 4 उपबंध में उपबंधित निदेश हेतु छः मास से तीन मास को पालन करने की समय-सीमा को कम करने हेतु अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने से संबंधित है । यह उक्त धारा की उपधारा (3) को अंतःस्थापित करने से भी संबंधित है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी का नया नाम ऐसे व्यतिक्रम के अनुपालन के लिए दंड अधिरोपित करने के बदले में उपधारा (1) के अधीन निदेश को पालन करने के व्यतिक्रम की दशा में आबंटन करने हेतु उपबंधित है ।

विधेयक का खंड 5 अनुज्ञेय विदेशी अधिकारिताओं या ऐसी अन्य अधिकारिताओं, जो नियमों द्वारा उपबंधित हों किया जाये, के स्टाक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों के कतिपय वर्ग की सूची हेतु लोक कंपनियों के वर्ग को अनुज्ञात करने हेतु अधिनियम की धारा 23 की नई उपधारा 3 को अंतःस्थापित करने से संबंधित है । इसके अतिरिक्त उक्त धारा की एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने के लिए प्रस्तावित है जो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा अधिनियम अध्याय 3, अध्याय 4 की धारा 89, धारा 90 या धारा 127, किसी उपबंधों से उक्त उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों को छूट देने के लिए सशक्त कर सके है ।

विधेयक का खंड 6 प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (9) का संशोधन करने से संबंधित है, जो उक्त धारा के उल्लंघन में विवरण पत्रिका जारी करने वाले किसी पक्षकार को जानता है ।

विधेयक का खंड 7 उक्त धारा के उपबंधों को पालन करने में किसी व्यतिक्रम की दशा में कारावास के दंड को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (5) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 8 उक्त धारा का पालन करने में किसी व्यतिक्रम की दशा में दांडिक उपबंधों को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 9 उक्त धारा की उपधारा (2) से उपधारा (5) तक को पालन करने में असफलता की दशा में व्यतिक्रमी कंपनी और उसके अधिकारियों को आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (6) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 10 उक्त धारा के अधीन अधिकरण के आदेशों को पालन करने में किसी व्यतिक्रम की दशा में दांडिक उपबंधों को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) की लोप करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 11 उक्त उपबंध के अधीन किए गए प्रस्ताव को इंकार करने की घोषणा से पंद्रह दिनों से कम की अवधि में नियमों द्वारा उपबंध करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 12 उपधारा (1) को पालन करने में व्यतिक्रम की दशा में इसमें उपबंधित आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 13 उक्त धारा की उपधारा (4) को पालन करने में किसी व्यतिक्रम की दशा में दांडिक उपबंधों को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (11) का लोप करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 14 कंपनी के किसी अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (11) का संशोधन करने से संबंधित है जो उसमें विनिर्दिष्ट अपराध का व्यतिक्रमी है ।

विधेयक का खंड 15 उक्त धारा के अधीन अधिकरण के आदेश को पालन करने में किसी व्यतिक्रम की दशा में दांडिक उपबंधों को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (11) का लोप करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 16 अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों का पालन करने में व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 17 उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के पालन होने में व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 18 उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन जैसी भी दशा हों, घोषणा करने या विवरणी को फाइल करने में चूक करने हेतु आर्थिक दायित्व के लिए उपबंध हेतु अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (5) और उपधारा (7) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है । यह केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु एक नई उपधारा (11) को अंतःस्थापित करने से भी संबंधित है जो बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (10) के सिवाय, उक्त धारा के पालन से छूट प्रदान करेगी है ।

विधेयक का खंड 19 उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (4क) के अधीन घोषणा करने, रजिस्टर का अनुरक्षण करने, सूचना को फाइल करने या आवश्यक कदम उठाने के लिए यथास्थिति, असफलता के कारण आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (10) और उपधारा (11) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 20 उक्त धारा की उपधारा (4) को पालन करने में व्यतिक्रम की दशा में उसमें उपबंधित आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु धारा 92 की उपधारा (5) का संशोधन करने से संबंधित है । इसके अतिरिक्त उक्त खंड उक्त

धारा की उपधारा (6) के अधीन व्यतिक्रम के लिए आर्थिक दंड का उपबंध करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 21 कंपनी के व्यय पर जारी किए गए प्राक्सी हेतु आमत्रणों की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (5) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 22 उक्त धारा की उपधारा (1) को पालन करने में असफलता हेतु कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यतिक्रम के लिए आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है । यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को छूट देने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (छ) के दूसरे परंतुक को और उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में अधिनियम की धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन ऋणों के संबंध में ऋण देने या गारंटी देने या प्रतिभूति का उपबंध करने के लिए संकल्प पारित करने से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को प्रतिस्थापित करने से भी संबंधित है ।

विधेयक का खंड 23 उक्त धारा के उपबंधों को पालन करने में असफलता हेतु कंपनी या उसके अधिकारियों के व्यतिक्रम के लिए आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (7) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 24 ऐसे अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (6) का संशोधन करने से संबंधित है जो उसमें उल्लिखित अपराधों के लिए व्यतिक्रमी है ।

विधेयक का खंड 25 नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ कंपनी, लेखा परीक्षा या सीमित पुनर्विलोकन के कालिक वित्तीय परिणामों को तैयार करने हेतु असूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को नियमों द्वारा उपबंधित केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम की एक नई धारा 129क को अंतःस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 26 उक्त धारा को पालन करने में असफलता की दशा में कंपनी या उसके अधिकारियों के व्यतिक्रम पर आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (8) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 27 कंपनियों को अनुज्ञात करने के लिए उसके उपबंध को अंतःस्थापित करने के द्वारा अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का संशोधन करने से संबंधित है जो उक्त उपधारा के अधीन उपबंधित अपेक्षा से अधिक रकम खर्च किया है जो नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी रीति में उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में उसके दायित्व में से ऐसी रकम से अधिक है । इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी के प्रत्येक अधिकारी उक्त धारा के उपधारा (5) और उपधारा (6) को लागू करने में व्यतिक्रम करते हैं उक्त धारा की उपधारा (7) को अंतःस्थापित करने से संबंधित है जो ऐसा व्यतिक्रमी है वह आर्थिक दंड के लिए दायी होगा । यह उक्त धारा की नई उपधारा (9) में अंतःस्थापित करने से भी संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता पचास लाख रुपए से अनधिक उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन खर्च की अपेक्षित रकम की

दशा में लागू नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 28 उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) के पालन होने के व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 29 लेखा परीक्षक द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के पालन होने की व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (3) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 30 व्यवसाय में लेखा परीक्षक या लागत लेखापाल या कंपनी सचिव की आर्थिक दंड का उपबंध हेतु अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (15) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जो उक्त धारा की उपधारा (12) को पालन करने में असफल होता है ।

विधेयक का खंड 31 ऐसे अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) का संशोधन करने से संबंधित है जो उसमें उपबंधित अपराध का व्यतिक्रमी है । यह उसमें उपबंधित धारा 143 के निर्देशों का लोप करने हेतु उपधारा(2) का संशोधन करने से भी संबंधित है ।

विधेयक का खंड 32 एक नए परंतुक को अंतःस्थापित करने हेतु अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (9) का संशोधन करने से संबंधित है जो उपबंध करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा, यदि एक कंपनी, अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार कोई लाभ या पर्याप्त लाभ में नहीं है ।

विधेयक का खंड 33 उक्त धारा के अधीन कारित व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड की रकम को उपांतरित करने हेतु अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 34 इसमें उपबंधित अपराध के लिए कारावास के दंड का लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 35 अधिनियम के अध्याय 11 के उपबंधों के पालन के व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 172 को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जिसमें कोई विनिर्दिष्ट दंड या शास्ति का उपबंध नहीं है ।

विधेयक का खंड 36 धारा 177 और धारा 178 के पालन के व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (8) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 37 उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) की व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (4) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 38 उक्त धारा के उपबंधों के पालन में कंपनी या कंपनी के अधिकारी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 187 की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 39 के साथ और कारावास के दंड या जुर्माने के स्थान पर आर्थिक दंड रखते हुए अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (5) के खंड (i) का

संशोधन करने से संबंधित है और इसके अतिरिक्त उक्त उपधारा के खंड (ii) का संशोधन करने हेतु आर्थिक दंड के साथ जुर्माने प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 40 अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (3) का संशोधन करने से संबंधित है जो उपबंध करता है कि यदि कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में लाभ या पर्याप्त लाभों को प्राप्त करने में असफल रहती है तो किसी स्वतंत्र निदेशक सहित ऐसी कंपनी का अकार्यकारी निदेशक अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार पारिश्रमिक को संदत्त करेगा ।

विधेयक का खंड 41 उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 204 की उपधारा (4) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 42 उक्त धारा की उपधारा (5) को पालन करने में असफल होने पर आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 232 की उपधारा (8) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 43 उसमें उल्लिखित अपराध के लिए व्यतिक्रम होने पर ऐसे अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने के लिए अधिनियम की धारा 242 की उपधारा (8) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 44 उसमें उल्लिखित अपराध के लिए व्यतिक्रम होने पर ऐसे अधिकारी के संबंध में कारवास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 45 जुर्माने के स्थान पर आर्थिक दंड का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (3) का संशोधन करने से संबंधित है जब उक्त धारा के उपबंधों का कोई मूल्यकर्ता उल्लंघन करता है ।

विधेयक का खंड 46 अधिनियम की धारा 284 की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि जब कोई व्यक्ति धारा की उपधारा (1) के अधीन कंपनी समापकको सहायता करने की अपेक्षा करता है वह यदि ऐसा नहीं करता है तब कंपनी समापक आवश्यक निदेशों के लिए अधिकरण को एक आवेदन दे सकेगा । यह एक नई उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि अधिकरण कंपनी परिसमापक के निदेशों का पालन करने हेतु ऐसे व्यक्ति को निदेश दे सकेगा ।

विधेयक का खंड 47 अधिनियम की धारा 302 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि अधिकरण रजिस्ट्रार को ऐसे संकल्प के आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा और कंपनी समापक को यह निदेश देगा कि रजिस्ट्रार ऐसी प्रति अग्रेषित करे जो कंपनी के विखंडन पर ऐसी कंपनी के कार्यवृत्त से संबंधित रजिस्टर में अभिलिखित करें । यह उक्त धारा की उपधारा (4) का लोप करने से भी संबंधित है ।

विधेयक का खंड 48 अधिनियम की धारा 342 की उपधारा (6) का लोप करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 49 उसमें उल्लिखित अपराध के संबंध में कारावास के दंड को लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 347 की उपधारा (4) का संशोधन करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 50 अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (6) को प्रतिस्थापित

करने से संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि यदि एक कंपनी समापक जो वृत्तिक दिवालिया है, धारा के उपबंधों को पालन करने में व्यतिक्रम करता है और यह व्यतिक्रम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तथा इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम का उल्लंघन करेगा । उक्त खंड उक्त धारा की उपधारा (7) का लोप करने से भी संबंधित है ।

विधेयक का खंड 51 अधिनियम की धारा 356 की उपधारा (2) प्रतिस्थापित करने से संबंधित है जो यह उपबंध करता है कि कोई अधिकरण रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा और कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऐसे आदेश को लागू करने के लिए आदेश के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को आदेश की प्रमाणित प्रति भी फाइल की गई थी, अग्रेषित करेगा ।

विधेयक का खंड 52 कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा उपबंधित उत्पादक कंपनियों के संबंध में अध्याक 21क के अनुसार नए अध्याय को अंत:स्थापित करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 53 अधिनियम की धारा 379 की उपधारा (1) के उपबंध का लोप करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 54 ऐसे अधिकारी के संबंध में कारावास के दंड का लोप करने हेतु अधिनियम की धारा 392 का संशोधन करने से संबंधित है जो उसमें उल्लिखित अपराध का व्यतिक्रमी है ।

विधेयक का खंड 55 केंद्रीय सरकार को भारत के बाहर निगमित की जाने वाली विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी वर्ग को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाली अधिसचना द्वारा अधिनियम के अध्याय 22 के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करने हेतु अधिनियम में नई धारा 393क का अंत:स्थापन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 56 अधिनियम की धारा 403 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने, फाइल करने, रजिस्ट्रीकृत करने या अभिलिखित करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम किया जाता है तो उसे ऐसी अतिरिक्त उच्चतर फीस जो नियमों द्वारा विहित की जाए संदाय करने पर किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 57 अधिनियम की धारा 405 की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे जहां कंपनी उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहती है या कोई असत्य सूचना प्रस्तुत करती है तो धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 58 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों जो केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण में नियुक्त कर सकती है की संख्या पर दिए गए निर्बंधन को हटा कर अधिनियम की धारा 410 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 59 अधिनियम में एक नई धारा 418क का अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे अपील अधिकरण की न्यायपीठों के गठन और संबंधित उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 60 अधिनियम की धारा 435 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे अधिनियम की धारा 452 के अधीन अपराध को अधिनियम की धारा 433 लागू होने से अपवर्जन किए जाने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 61 अधिनियम की धारा 441 की उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यदि कंपनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो अधिकरण या प्रादेशक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिससे जुर्माने की अधिकतम रकम तत्स्थानी धारा जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड उपबंधित किया गया है, में उपबंधित रकम के दुगुने होने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 62 अधिनियम की धारा 446ख को अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे स्टार्ट-अप कंपनी, उत्पादक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी द्वारा अधिनियम के उपबंधों जो धनीय शास्तियों को आकर्षित करते हैं जो धनीय शास्तियों को आकर्षित करते है, का अनुपालन करने में विफल रहने पर संदेय धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 63 अधिनियम की धारा 450 का संशोधन करने के लिए है जिससे कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए अधिनियम में कहीं ओर शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है की दशा में धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 64 अधिनियम की धारा 452 की उपधारा (2) में एक परंतुक का अंत:स्थापन करने के लिए है जिससे उक्त उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा, समुत्थान में स्थित इकाई पर सदोष कब्जा या विधारण की दशा में जब ऐसे अधिकारी या कर्मचारी ने कंपनी से कतिपय कानूनी शोध्यों को प्राप्त नहीं किया है, कारावास का आदेश नहीं किए जाने के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 65 अधिनियम की धारा 454 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कोई धनीय शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जब ऐसा व्यतिक्रम धारा 92 की उपधारा (4) या उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अननुपालन से संबंधित है और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व या उसके 30 दिन के भीतर व्यतिक्रम को परिशोधित कर दिया जाता है, का उपबंध करने के लिए एक नए परंतुक को अंत:स्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 66 अधिनियम की धारा 465 की उपधारा (1) के पहले परंतुक का लोप करने के लिए है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 2 के खंड (52) के अधीन नियमों द्वारा, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परामर्श से यह उपबंध करने के लिए सशक्त करती है कि कंपनियों के ऐसे वर्ग को जो ऐसी प्रतिभूतियों के वर्ग को सूचीबद्ध करता है या सूचीबद्ध करने का आशय रखता है को सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा के भीतर सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक के खंड 4 का उपबंध (ii) केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन नियमों द्वारा वह रीति जिसमें केंद्रीय सरकार कंपनी जो उस धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, को नया नाम आबंटित करेगी, उपबंधित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 5 केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन नियमों द्वारा लोक कंपनियों के ऐसे वर्ग जो अनुज्ञेय विदेशी अधिकारिताओं या अन्य अधिकारिताओं में, जो ऐसे नियमों में उपबंधित की जाए, अनुज्ञात शेयर बाजार में प्रतिभूति के ऐसे वर्गों को सूचीबद्ध कर सकेगी, का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है । इसके अतिरिक्त, यह खंड केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अध्याय 3, अध्याय 4, धारा 89, धारा 90 और धारा 127 के किन्हीं उपबंधों से लोक कंपनियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को छूट प्रदान करने के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 11 केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन नियमों द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट 15 दिन की समय सीमा से कम दिनों की समय सीमा का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 18 का उपखंड (ग) केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (11) के अधीन व्यक्तियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों, जिन्हें इस धारा के अनुपालन की अपेक्षाओं से सशर्त या बिना शर्त छूट प्रदान की जा सकती है, को यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक समझा जाए,अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 22 का उपखंड (ii) केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (3) के खंड (छ) के दूसरे परंतुक के अधीन नियमों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3 -ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के किसी वर्ग या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 अधीन रजिस्ट्रीकृत बैंकिंग वित्तीय कंपनी के किसी वर्ग, को, इस उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात का, ऋण प्रदान करने या गारंटी देने अथवा उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में अधिनियम की धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन ऋणों के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करने के लिए पारित संकल्प के संबंध में लागू नहीं होने का, उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 25 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित नई धारा129 क के अधीन नियमों द्वारा कंपनी के वित्तीय परिणामों को असूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के संबंध में कालिक आधार पर तैयार करने के प्ररुप; निदेशक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने और ऐसे कालिक वित्तीय परिणामों की संपरीक्षा या सीमित समीक्षा

करने की रीति; सुसंगत अवधि के पूरा होने से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रति दाखिल करने की फीस, उपबंधित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 27 का उपखंड (क) केंद्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन उस रीति का जिसमें उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में अपेक्षाओं के विरुद्ध विशिष्ट वित्तीय वर्ष में, उक्त उपधारा में उपबंधित अपेक्षा के आधिक्य में खर्च की गई किसी रकम का मुजरा कर सकेगी, उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 52 केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा, वह प्ररुप और रीति जिसमें अधिनियम की धारा 378ज की उपधारा (4) के अधीन एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान को परिवर्तित करने से संबंधित ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन का अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाना है; उत्पादन कंपनी जिसका वार्षिक व्यापारावर्त की औसत रकम अधिक है, उससे अधिनियम की धारा 378 झ की उपधारा (1) के अधीन पूर्णकालिक सचिव रखना अपेक्षित होगा; कोई अन्य रीति जिसमें उत्पादक कंपनी के साधारण आरक्षिति को अधिनियम की धारा 378यठ की उपधारा (1) के अधीन विनिधान किया जाएगा; अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंध (अधिनियम के अध्याय 21क में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न) जो या तो लागू नहीं होते हैं या अधिनियम की धारा 378यप के अधीन; अधिनियम के अध्याय 21क के प्रयोजन के लिए; अधिनियम की धारा 378यन की उपधारा (1) के अधीन कतिपय अपवादों या अनुकूलनों के साथ, ऐसी कंपनियों को लागू होंगे, को अधिसूचित करने का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ;

विधेयक का खंड 55 केंद्रीय सरकार को नई धारा 393क के अधीन आदेश द्वारा भारत के बाहर निगमित या निगमित की जाने वाली विदेशी कंपनी या कंपनियों, चाहे कम्पनी के कारबार का स्थान भारत में है पर स्थापित की गई या नहीं स्थापित की गई है, या उसका गठन स्थापित किया जा सका है या नहीं स्थापित किया जा सका है, के किसी वर्ग को अधिनियम के अध्याय 12 के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 59 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित नई धारा 418क के अधीन अध्यक्ष के परामर्श से नई दिल्ली से भिन्न स्थानों पर जहां अपील अधिकरण की न्यायपीठें स्थापित की जा सकती है को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात् अपील अधिकरण की अतिरिक्त न्यायपीठों जो वह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अपील की सुनवाई के लिए आवश्यक समझें, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

वे विषय जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन नियम बनाए जाने हैं प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * *

पूर्त उद्देश्यों, आदि वाली कंपनियो का बनाया जाना ।

8. (1) जहां, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति-संगम का—

* * * * *

(11) यदि कोई कंपनी इस धारा में अधिकथित किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो, कंपनी, इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी के निदेशक और वह प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु जब यह साबित हो जाता है कि कंपनी के कमाकाज का संचालन, कपटपूर्वक किया गया था, तब प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी, धारा 447 के एधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

* * * * *

कंपनी के नाम का परिशोधन ।

16. (1) यदि, कोई कंपनी, अनवधानता से या अन्यथा, अपने पहले रजिस्ट्रीकरण पर या नए नाम में अपने रजिस्ट्रीकरण पर, ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की जाती है जो,—

* * * * *

(ख) किसी व्यापार चिह्न के किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा, चाहे इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, कंपनी के निगमन या रजिस्ट्रीकरण या नाम के परिवर्तन के तीन वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार को किए गए किसी ऐसे आवेदन पर कि नाम, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसे स्वत्वधारी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समान है या उसके अतिसदृश है, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह किसी विद्यमान व्यापार चिह्न के समान है या उसके अतिसदृश है तो वह कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और कंपनी ऐसे निदेश के जारी किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए किसी साधारण संकल्प को अंगीकार करने के पश्चात्, यथास्थिति, अपने नाम में या नए नाम में परिवर्तन करेगी ।

* * * * *

(3) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगी, तो कंपनी ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 3

प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन

भाग 1 – लोक प्रस्थापना

लोक प्रस्थापना और प्राइवेट नियोजन ।

23. (1) कोई पब्लिक कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी—

* * * * *

(2) कोई प्राइवेट कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के द्वारा;

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट नियोजन के माध्यम से ।

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "लोक प्रस्थापना" के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियों की प्रारंभिक लोक प्रस्थापना या अतिरिक्त लोक प्रस्थापना या किसी विद्यमान शेयर धारक द्वारा जनता को प्रतिभूति के विक्रय के लिए प्रास्पेक्टस जारी करने के माध्यम से कोई प्रस्थापना भी है ।

* * * * *

प्रास्पेक्टस के कथित किए जाने वाले विषय ।

26. (1) * * * *

(9) यदि कोई प्रास्पेक्सटस इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जारी किया जाता है, तो कंपनी, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जानते हुए ऐसे प्रास्पेक्टस के जारी होने का पक्षकार है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

प्रतिभूतियों के संबंध में स्टाक एक्सचेंजों में व्यौहार किया जाना ।

40. (1) * * * *

(5) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो, कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा

* * * * *

शेयर धारकों के अधिकारों के फेरफार ।

48. (1) * * * *

(5) जहां इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

प्रतिभूतियों का अंतरण ।

56. (1) * * * *

(6) जहां उपधारा (1) से उपधारा (5) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, वहां कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

सदस्यों के रजिस्टर का परिशोधन ।

59. (1) * * * *

(5) यदि इस धारा के अधीन अधिकरण के किसी आदेश का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

शेयर पूंजी का आगे और जारी किया जाना ।

62. (1) जहां किसी समय, कोई कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी है, शेयरों के निर्गमन द्वारा अपनी अभिदाय पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है, वहां ऐसे शेयर निम्नलिखित को प्रस्थापित किए जाएंगे—

(क) उन व्यक्तियों को, जो प्रस्थापना की तारीख को प्रस्थापना पत्र के परिचालन द्वारा उन शेयरों पर समादत्त शेयर पूंजी के, उन परिस्थितियों में यथा निकटतम अनुपात में कंपनी के साधारण शेयर धारक हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, अर्थात् :—

(i) प्रस्थापना, प्रस्थापित शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए और प्रस्थापना की ऐसी तारीख से, जिसके भीतर, प्रस्थापना को यदि स्वीकार नहीं किया जाता है तो इंकार किया जाना समझा जाएगा, पंद्रह दिन से कम और तीस दिन से अनधिक समय को सीमित करते हुए, सूचना द्वारा, की जाएगी ;

* * * * *

शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को सूचना का दिया जाना ।

64. (1) * * * *

(2) यदि कोई कंपनी और कंपनी का कोई अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

शेयर पूंजी में कमी ।

66. (1) * * * *

(11) यदि कंपनी उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

68. (1) * * * * अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने की कंपनी की शक्ति ।

(11) यदि कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों या उपधारा (2) के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगा, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा और धारा 70 के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत कर्मचारी स्टाफ विकल्प या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं जो समय -समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

स्पष्टीकरण 2–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खुली आरक्षिति" में प्रतिभूति प्रीमियम लेखा सम्मिलित है ।

* * * * *

71. (1) * * * * डिबेंचर ।

(11) यदि इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का न होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

86. (1) यदि कोई कंपनी इस अध्याय के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का न होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । उल्लंघन के लिए दंड ।

* * * * *

अध्याय 7

प्रबंध और प्रशासन

88. (1) * * * * सदस्यों, आदि का रजिस्टर ।

(5) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सदस्यों या डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर नहीं रखती है या उसे बनाए रखने में असफल रहती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

89. (1) * * * * किसी शेयर में फायदाप्रद हित के संबंध में घोषणा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता

है वह ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

(7) यदि कोई कंपनी जिससे उपधारा (6) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है, धारा 403 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पूर्व ऐसा करने में असफल रहती है तो वह कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

कतिपय मामलों में शेयरों के हिताधिकारी स्वामित्व का अन्वेषण ।

90. (1) * * * *

(10) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपए से अन्यून होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(11) यदि कोई कंपनी, जिससे उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर रखे जाने और उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने की अपेक्षा है, ऐसा करने में असफल रहती है या उसमें यथा उपबंधित निरीक्षण से इंकार करती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

* * * * *

वार्षिक विवरणी ।

92. (1) * * * *

(5) यदि कोई कंपनी धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, अतिरिक्त फीस के साथ उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी फाइल करने में असफल रहती है तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, छह मास के कारावास से, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(6) यदि व्यवसायरत कम्पनी सचिव इस धारा या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की अनुरूपता से भिन्न वार्षिक विवरणी को प्रमाणित करता है, वहां वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

105. (1) * * * * परोक्षी ।

(5) किसी कंपनी के किसी अधिवेशन के प्रयोजन के लिए, आमंत्रणों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या में से एक व्यक्ति को परोक्षी के रूप में नियुक्त करने के लिए आमंत्रण किसी ऐसे सदस्य को कंपनी के खर्च पर जारी किए जाते हैं जो उसको भेजे गए अधिवेशन के नोटिस को प्राप्त करने और परोक्षी द्वारा अधिवेशन में मतदान करने का हकदार है, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो उपरोक्त आमंत्रणों को जानबूझकर जारी करता है या उसको जारी करने को जानबूझकर प्राधिकृत करता है या अनुज्ञात करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु कोई अधिकारी, इस उपधारा के अधीन केवल किसी सदस्य को उसे परोक्षी नामित करने की नियुक्ति के प्ररूप के लिखित में उसके अनुरोध पर जारी करने या परोक्षियों के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की यदि प्ररूप या सूची परोक्षी द्वारा अधिवेशन में मतदान करने के हकदार प्रत्येक सदस्य को लिखित में किए गए अनुरोध पर उपलब्ध है, के कारण दंडनीय नहीं होगा ।

* * * * *

117. (1) * * * * संकल्पों और करार का फाइल किया जाना ।

(2) यदि कोई कंपनी, धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ, उपधारा (1) के अधीन संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहेगी, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी । किसी कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसके अन्तर्गत कम्पनी का समापक भी है, यदि कोई हो, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) यह धारा निम्नलिखित को लागू होगी,—

* * * * *

(छ) धारा 179 की उपधारा (3) के अनुसरण में पारित संकल्प :

* * * * *

परन्तु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी बैंककारी कंपनी को धारा 179 की उपधआरा (3) के खंड (च) के अधईन उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में ऋण अनुदत्त करने या कोई गारंटी देने या कोई प्रतिभूति प्रदान करने के लिए पारित किसी संकल्प के संबंध में लागू नहीं होगी ।

* * * * *

124. (1) * * * * असंदत्त लाभांश खाता ।

(7) यदि कंपनी, इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहती है तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 9

कंपनी के लेखे

कंपनी द्वारा लेखा बहियों, आदि का रखा जाना ।

128. (1) * * * * *

(6) यदि इस धारा के उपबंधो का अनुपालन करने के कर्तव्य से बोर्ड द्वारा भारित किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक, वित्त का भारसाधक पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो कंपनी का ऐसा प्रबंध निदेशक, वित्त का भारसाधक पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

वित्तीय कथन बोर्ड की रिपोर्ट, आदि ।

134. (1) * * * *

(8) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ।

135. (1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड़ रुपए या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड़ रुपए या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिनमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा ।

परन्तु जहां कंपनी से धारा 149 की उपधारा (4) के अधीन किसी स्वंतत्र निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षा नहीं की जाती है, वहां उसकी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में दो अधिक निदेशक होंगे ।

* * * * *

(7) यदि कोई कंपनी उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधो का उल्लंघन करेगी, कंपनी ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा और ऐसी कंपनी, का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले वित्तीय विवरणी की प्रति ।

137. (1) * * * *

(3) यदि कोई कंपनी धारा 403 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विवरण की प्रति फाइल करने में असफल रहती है तो कंपनी, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रुपए के, किंतु जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, जुर्माने से दंडनीय होगी और कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, यदि कोई हो और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई अन्य निदेशक, जो

बोर्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुपालन के उत्तरदायित्व से प्रभारित किया गया है, और ऐसे किसी निदेशक की अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होंगे ।

* * * * *

140. (1) * * * * संपरीक्षक का हटाया जाना, त्यागपत्र और विशेष सूचना का दिया जाना ।

(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

143. (1) * * * * संपरीक्षकों की शक्तियों और कर्तव्य तथा संपरीक्षा मानक ।

(15) यदि कोई व्यवसायरत संपरीक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, उपधारा (12) के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

147. (1) यदि धारा 139 से धारा 146 (दोनों सम्मिलित) तक के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तो कंपनी, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हज़ार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । उल्लंघन के लिए दंड ।

(2) यदि कंपनी का कोई संपरीक्षक धारा 139, धारा 143 धारा 144 या धारा 145 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो संपरीक्षक जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु यदि ऐसा संपरीक्षक कंपनी या उसके शेयर धारकों या लेनदारों अथवा कर प्राधिकारियों की प्रवंचना के आशय से ऐसे उपबंधो का जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघन करेगा, तो संपरीक्षक कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

165. * * * * निदेशक पदों की संख्यां ।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में निदेशक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु प्रथम दिन के पश्चात् ~ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

निदेशक के पद का रिक्त किया जाना ।

167. (1) * * * *

(2) यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारित निदेशक का पद उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के कारण रिक्त हो गया है, निदेशक के रूप में कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

दंड ।

172. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के ऐसे किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगी, जिसके लिए उसमें कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं है, वहां कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नामनिर्देशन और परिश्रमिक समिति तथा पणधारी संबंध समिति ।

178. (1) * * * *

(8) धारा 177 और इस धारा के उपबंधों के किसी उल्लंघन की दशा में, कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय हो :

परंतु पणधारी संबंध समिति द्वारा सद्भावपूर्वक किसी शिकायत के समाधान पर विचार न करना इस धारा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—"ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र" पद से कंपनी के ऐसे कार्मिक जो कृत्यकारी प्रमुखों सहित एक स्तर नीचे के कार्यपालक निदेशक, प्रबंधन के सभी सदस्यों से मिलकर बने निदेशक बोर्ड को अपवर्जित करते हुए उसके कोर प्रबंधतंत्र दल के सदस्य अभिप्रेत हैं ।

* * * * *

निदेशक द्वारा हित का प्रकटन ।

184. (1) * * * *

(4) यदि कंपनी का कोई निदेशक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा निदेशक ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

कंपनी के विनिधानों का उसके अपने नाम में धारित किया जाना ।

187. (1) * * * *

(4) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

188. (1) * * * * सबद्ध पक्षकार संव्यवहार ।

(5) किसी कंपनी का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में संविदा या ठहराव किया था या उसे प्राधिकृत किया था,—

(i) किसी सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ii) किसी अन्य कम्पनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

197. (1) * * * * समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभों के अभाव में या अपर्याप्तता की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुसूची 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी कंपनी को किसी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या उसके लाभ अपर्याप्त हैं, तो कंपनी अपने निदेशकों को, जिनके अंतर्गत कोई प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक भी हैं, के पारिश्रमिक के रूप में किसी धनराशि का, इसमें इसके नीचे दी गई उपधारा (5) के अधीन निदेशकों को संदेय किसी फीस को छोड़कर अनुसूची 5 के उपबंधों के अनुसार संदाय किए जाने के सिवाय और यदि वह ऐसे उपबंधों का पालन करने में समर्थ नहीं है तो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय संदत्त नहीं करेगी ।

* * * * *

204. (1) * * * * बड़ी कंपनियों के लिए सचिवालयिक संपरीक्षा ।

(4) यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी या व्यवसायरत कंपनी सचिव, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या व्यवसायरत कंपनी सचिव जो व्यतिक्रमी है ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कमका नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

232 (1) * * * * * कंपनियों का विलयन और समामेलन ।

(8) यदि अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी इस धारा के उपबंधो का उल्लंघन करती है, तो, यथास्थिति अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी अंतरक या अतरिती कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक का हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए सेकम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

242. (1) * * * * अधिकरण की शक्तियां ।

(8) जहां कोई कंपनी उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां कंपनी

ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

कतिपय करारों के समापन या उपतारणों की परिणाम ।

243. (1) * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर उपधारा (1) के खंड (ख) के उल्लंघन में किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अन्य निदेशक, जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार होगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अध्याय 17

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन ।

247. (1) * * * * *

(3) यदि कोई मूल्यांक इस धारा या इसके अधीन बनाए गए उपबंधों का उल्लंघन करता है तो मूल्यांकक ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम न होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा :

परन्तु यदि मूल्यांकक ऐसे उपबंधों का कंपनी या इसके सदस्यों से कपट के आशय से उल्लंघन किया है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम न होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

संप्रवर्तकों, निदेशकों, आदि द्वारा कंपनी समापक से सहयोग किया जाना ।

284. (1) * * * *

(2) जहां कोई व्यक्ति, युक्तियुक्त कारण के बिना, उपधारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने में असफल रहेगा, वहां वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * *

अधिकरण द्वारा कंपनी का विघटन ।

302. (1) * * * *

(3) कंपनी समापक द्वारा, आदेश की एक प्रति, उसकी तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी, जो कंपनी के विघटन का कार्यवृत्त कंपनी से संबंधित रजिस्टर में अभिलिखित करेगा ।

(4) यदि कंपनी समापक उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश की प्रति अग्रेषित करने में व्यतिक्रम करेगा तो कंपनी समापक जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

342. (1) * * * *

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सहायता देने में असफल रहेगा या उपेक्षा करेगा तो वह जुर्माने का, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं a होगा, किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

कंपनी के अपचारी अधिकारियों और सदस्यों का अभियोजन ।

* * * * *

347. (1) * * * *

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी विरचित नियम का उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनी की बहियों और कागजपत्रों का व्ययन ष

* * * * *

348. (1) * * * * *

(6) यदि कोई कंपनी समापक इस धारा के उपबंधो का उल्लंघन करता है तो कंपनी समापक जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता चालू रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(7) यदि कंपनी समापक उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन की कंपनी के लेखापरीक्षक के रुप में कार्य करने के लिए अनर्हित किसी व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा कराकर जानबूझकर व्यतिक्रम करेगा तो कंपनी समापक कारावास से, जिसकी अवधइ छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

लंबित समापनों के बारे में जानकारी ।

* * * * *

356. (1) * * * *

(2) कंपनी समापक या उस व्यक्ति का, जिसके आवेदन पर आदेश किया गया था, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आदेश के किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो अधिकरण अनुज्ञात करे, रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रमाणित प्रति फाइल करे जिसे वह रजिस्टर करेगा और यदि कंपनी समापक या वह व्यक्ति, ऐसा करने में असफल रहता है तो कंपनी समापक या वह व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कंपनी के विघटन को शून्य घोषित करने की अधिकरण की शक्ति ।

* * * * *

अध्याय 22

भारत के बाहर निगमित कंपनियां

379. (1) धारा 380 से धारा 386 (दोनों धाराएं सम्मिलित है) और धारा 392 तथा धारा 393 सभी विदेशी कंपनियों को लागू होंगी:

अधिनियम का विदेशी कंपनियों को लागू होना ।

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनियों के किसी वर्ग को धारा 380 से धारा 386 और धारा 392 तथा धारा 393 के उपबंध से छूट दे सकेगी और ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

* * * * *

392. धारा 391 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई विदेशी कंपनी इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन करती है, वहां विदेशी कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख

उल्लंघन के लिए दंड ।

रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और विदेशी कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

फाइल करने, आदि के लिए फीस ।

403. (1) इस अधिनियम के अधीन दिए जाने, फाइल किए जाने, रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत कोई तथ्य या सूचना, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर दी जाएगी, फाइल की जाएगी, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी या अभिलिखित की जाएगी:

* * * * *

परन्तु यह भी कि जहां दस्तावेज, तथ्य या सूचना को प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम किया जाता है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधइक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस, जैसी विहित की जाए और जो पहले या दूसरे परंतुक, जो भी लागू हो, के अधीन उपबंधित अतिरिक्त फीस के दुगने से कम नहीं होगी, यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध किया जा सकेगा ।

* * * * *

अध्याय 25

कंपनियों द्वारा सूचना या आंकड़ों का दिया जाना

केन्द्रीय सरकार की कंपनियों की सूचना या आंकड़े दिए जाने का निदेश देने की शक्ति ।

405. (1) * * * *

(4) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगी या जानबूझकर ऐसी कोई सूचना या आंकड़े देगी जो किसी तात्वीक बात के संबंध में गलत या अपूर्ण हैं, तो कंपनी ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रमी है कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

अपील अधिकरण का गठन ।

410. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अपील अधिकरण का गठन करेगी जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, जो अध्यक्ष और ग्यारह से अनधिक उतने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों से मिलकर बनेगा, जितने केंद्रीय सरकार ठीक समझे, जिनकी नियुक्ति अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिसूचना द्वारा की जाएगी,--

(क) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण या राष्ट्रीय वितीय रिपोर्ट प्राधिकरण के आदेश ; और

(ख) उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2003 का 12 2002 की धारा 53ढ़ में निर्दिष्ट कोई निदेश, विनिश्चय या आदेश ।

* * * * *

अध्याय 28

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

435. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के त्वरित विचारण करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालय स्थापित या अभिहित कर सकेगी, जितने आवश्यक हों ।

* * * * *

कतिपय अपराधों का शमन ।

441. (1) * * * *

(5) कंपनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उपधारा (4) के अधीन अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * *

एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनियों के लिए कम शास्ति।

446ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी, धारा 92 की उपधारा (5); धारा 117 की उपधारा (2) या धारा 137 की उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है , तो ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी का वय्तिक्रमी अधिकारी, य़थास्थिति, ऐसे जुर्माने या कारावास से या जुर्माने और कारावास से, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम या अधिकतम, यथास्थिति, जुर्माने या कारावास या जुर्माने और कारावास के, यथास्थिति, आधे जुर्माने या कारावास से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

जहां कोई विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड उपबंधित नहीं है वहां दंड ।

450. यदि कोई कम्पनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों या किसी शर्त, परिसीमा या निर्बन्धन का, जिसके अधीन किसी बात के संबंध में कोई अनुमोदन, मंजूरी,सम्मति, पुष्टि, मान्यता, निदेश या छूट प्रदान की गई है, दी गई है या अनुदत्त की गई है और जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं अन्यत्र किसी शास्ति या दण्ड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो कम्पनी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो व्यतिक्रमी है या ऐसा अन्य व्यक्ति, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वहां पहले दिन के पश्चात्वर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * *

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

454. (1) * * * *

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा,—

(क) यथास्थिति, कंपनी ऐसे अधिकारी पर, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति पर इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का उसमें उल्लेख करते हुए, शास्ति अधिरोपित कर

सकेगा ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसी कंपनी या अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति को, जब कभी वह ठीक समझे, व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

* * * * *

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्तियां ।

465. (1) कंपनी अधिनियम, 1956 और रजिस्ट्रेशन आफ कंपनीज (सिक्किम), ऐक्ट, 1961 (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् निरसित अधिनियमितियां कहा गया है) निरसित हो जाएंगे : 1961 का सिक्किम अधिनियम 8

परन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 9क के उपबंध किसी उत्पादक कंपनी को यथावश्यक परिवर्तन सहित, उत्पादक कंपनियों के लिए विशेष अधिनियम अधिनियमित किए जाने तक, ऐसी रीति में लागू होंगे, मानो कपंनी अधिनियम 1956 को निरसित नहीं किया गया हो: 1956 का 1

परन्तु यह और कि अधिकरण को मामलों का अंतरण करने के लिए धारा 434 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा तारीख अधिसूचित किए जाने तक कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड और न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों प्राधिकार और कृत्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध इस प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो: 1956 का 1

परन्तु यह और कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को इस अधिनियम, के तत्समान सुसंगत उपबंधो को उस धारा के अधीन सुसंगत अधिसूचना जारी किए जाने तक उसी प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो कंपनी अधिनियम, 1956 निरसित न किया गया हो । 2009 का 6 1956 का 1

* * * * * *

MGIPMRND—5864LS(CRC)—12-3-2020.